नव प्रदेश

www.navpradesh.com | रायपुर, रविवार 4 जुलाई 2021, शुक्ल पक्ष-दशमी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-10 अंक-145 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए | रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

आज बेबाक

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पाकिस्तान परस्ती और आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी फिर एक बार सामने आई है। भारतीय सुरक्षा बलो द्वारा कश्मीर में पांच आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराए जाने पर उन्होने सवाल उठाए है। इसके पहले भी वे आतंकवादियों की हिमायत करती रही है और पाकिस्तान के कसीदे पढ़ती रही है। लगता है एक साल से अधिक समय तक नजरबंद रहने के बाद भी उनकी आंखें नहीं खुली है। रस्सी जल गई है लेकिन ऐठन नहीं गई है। अब समय आ गया है कि आतंकवादियों के साथ ही उनके ऐसे हिमायतियों का भी हिसाब किया जाएं।

चेतावनी: कोविड के बेहद 'खतरनाक दौर' में दुनिया : डब्ल्यूएचओ

भारत में पहली बार मिले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया ने चेतावनी दी

■ **टेड्रोस अदहानोम गेब्रेयेसस ने कहा कि डेल्टा जैसे स्वरूप अधिक संक्रामक हैं और वक्त के साथ लगातार बदल रहे**

संयुक्त राष्ट्र/जिनेवा/वार्ता। भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया ने चेतावनी दी है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अदहानोम गेब्रेयेसस ने आगाह किया कि दुनिया कोविड-19 महामारी के बेहद 'खतरनाक दौर' में है जिसके डेल्टा जैसे स्वरूप अधिक संक्रामक हैं और वक्त के साथ लगातार बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन देशों की कम आबादी को टीके लगे हैं वहां अस्पतालों में फिर

से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है।

'घरों को हवादार रखने की पर्याप्त व्यवस्था अहम'

डब्ल्यूएचओ चीफने कहा, 'जन स्वास्थ्य और सामाजिक उपाय जैसे कि कड़ी निगरानी, जांच, शुरुआती स्तर पर बीमारी का पता लगाना, पृथक वास और चिकित्सीय देखभाल अब भी महत्वपूर्ण हैं।' डब्ल्यूएचओ महानिदेशक ने कहा कि मास्क लगाना, सामाजिक दूरी, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना और घरों को हवादार रखने की पर्याप्त व्यवस्था अहम है। उन्होंने दुनियाभर के नेताओं से अनुरोध किया कि वे एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि अगले साल तक हर देश की 70 प्रतिशत आबादी को कोविड-19 रोधी टीका लग जाए।

टेड्रोस ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'डेल्टा जैसे स्वरूप अधिक संक्रामक है और कई देशों में यह फैल रहा है। इसी के साथ ही हम इस महामारी के बहुत खतरनाक दौर में हैं।' गेब्रेयसस ने कहा, 'कोई भी देश अभी तक खतरे से बाहर नहीं है। डेल्टा स्वरूप खतरनाक है और यह वक्त के साथ और बदल रहा है जिस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि डेल्टा स्वरूप कम से कम 98 देशों में पाया गया है और उन देशों में तेजी से फैल रहा है जहां कम और ज्यादा टीकाकरण हुआ है।

उन्होंने कहा, 'महामारी को खत्म करने, लोगों की जान बचाने, वैश्विक आर्थिक बहाली तथा खतरनाक स्वरूपों को पैदा होने से रोकने ■ शेष पृष्ठ 6 पर

भारत-फ्रांस राफेल डील में बड़ा ऐक्शन

36 राफेल की जांच के लिए फ्रांस ने नियुक्त किए जज

■ **7.8 बिलियन यूरो का सौदा लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप और विवादों में फंसा**

पेरिस/ए.। फ्रांस ने भारत को बेचे गए 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए एक जज की नियुक्ति की है। फ्रांस की पब्लिक प्रॉसिक्यूशन सर्विसेज की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को कहा कि एक फ्रांसीसी न्यायाधीश को भ्रष्टाचार के संदेह पर भारत को राफेल लड़ाकू विमानों की विवादास्पद मल्टी-अरब डॉलर की डील की जांच करने का काम सौंपा गया है। ये डील 2016 में हुई थी।

भारत सरकार और फांसीसी विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट के बीच 36 विमानों के लिए 7.8 बिलियन यूरो (9.3 बिलियन डॉलर) का सौदा लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप और विवादों में फंसा हुआ है। पीएनएफ ने शुरुआत में डील की जांच करने से इनकार कर दिया था। फ्रांसीसी जांच वेबसाइट मीडियापार्ट ने पीएनएफ और फ्रांसीसी भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसी पर सितंबर 2016 में हुए इस डील में उपजे संदेह को दफनाने का आरोप लगाया था। अप्रैल में, मीडियापार्ट ने दावा किया कि डील कराने के लिए डसॉल्ट ने बिचौलिए को लाखों यूरो कमीशन दिए थे। ये कमीशन उन भारतीय अधिकारियों को रिश्वत के रूप में दिए जाने थे, जिन्होंने डसॉल्ट को राफेल की बिक्री कराने में मदद की थी। हालांकि, डसॉल्ट ने कहा था कि ग्रुप के ऑडिट रिपोर्ट में इस तरह के किसी भी गलत काम के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।

इन रिपोर्टों के बाद, फ्रांस की एनजीओ शेरपा, जो वित्तीय अपराध में विशेषज्ञता रखता है, ने अन्य आरोपों के बीच भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से जुड़ी एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। इसी के बाद सौदे की जांच के लिए एक जज को नामित किया गया है। शेरपा ने 2018 में पहले ही सौदे की जांच के लिए कहा था, लेकिन पीएनएफ ने कोई कार्रवाई नहीं की। अपनी पहली शिकायत में, एनजीओ ने इस तथ्य की निंदा की थी कि डसॉल्ट ने अरबपति अनिल अंबानी की अध्यक्षता वाले रिलायंस समूह को अपने भारतीय भागीदार के रूप में चुना, जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं।

कांग्रेस ने राफेल सौदे को लेकर झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश की: भाजपा

नई दिल्ली (वार्ता)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस ने झूठ बोला है और भ्रम फैलाने की कोशिश की है। शनिवार को यहाँ भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, कांग्रेस पार्टी आज झूठ और भ्रम की पर्यायवाची बन चुकी है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जो भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, वह भी उनके काम नहीं आई थी। जनता की अदालत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी जीत हुई और हमारी सरकार बनी।

खास-खबर

धामी रविवार को लेंगे सीएम पद की शपथ

देहरादून (वार्ता)। उत्तराखंड के ग्याहरवें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी रविवार को शपथ लेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने यूनीवार्ता को बताया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को पत्र सौंप कर, खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी को विधान मंडल दल का नेता चुने जाने की जानकारी दी है।

संस्कृति की रक्षा करें : नायडू

नई दिल्ली (वार्ता)। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने लुप्तप्राय भारतीय भाषाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए शनिवार को कहा कि इन्हें संरक्षित करने के लिए ठोस कार्रवाई और एकजुट प्रयास किये जाने चाहिए। श्री नायडू ने वर्चुअल रूप में सिंगापुर में सामाजिक संगठन श्री सांस्कृतिक कला सारथी के प्रथम वर्षगांठ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा हमारी भाषाओं का संरक्षण हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

व्यापारियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार : पीएम मोदी

नई दिल्ली (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार व्यापारियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर कदम उठा रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के तहत लाने के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए श्री मोदी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, ÷हमारी सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के तहत लाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे करोड़ों व्यापारियों को आसानी से ऋण मिलेगा। साथ ही उन्हें कई ऐसी योजनाओं का फायदा भी मिलेगा जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकेंगे। हम अपने व्यापारियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उल्लेखनीय है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों की घोषणा की थी।

आमिर खान और किरण राव हुए अलग, बोले-

....अब हम जिंदगी में नए अध्याय की करेंगे शुरुआत

नई दिल्ली/ए.। आमिर खान और किरण 15 साल के सफर के बाद अलग हो गए हैं। दोनों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर अपने तलाक की जानकारी दी है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और किरण राव की शादी 2005 में हुई थी। दोनों के एक बेटा आजाद भी है जिसका जन्म सरोगेसी से हुआ है। किरण राव की मुलाकात आमिर खान से आशुतोष गोवारिकर की फिल्म लगाने के दौरान हुई थी। 'लगान' फिल्म में किरण राव असिस्टेंट डायरेक्टर थीं। यह आमिर खान की दूसरी शादी थी। इससे पहले आमिर खान ने रीना दत्ता से शादी की थी और उनके साथ भी 15 साल बाद उनका तलाक हो गया था। आमिर खान की पहली शादी से उनके एक बेटा और बेटी है। आमिर खान और किरण राव ने संयुक्त वक्तव्य में ■ शेष पृष्ठ 6 पर

सरकार की सख्ती के बाद गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने हटाए आपत्तिजनक पोस्ट

नई दिल्ली/ए.। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अब अपने प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक पोस्ट हटाए हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने नये आईटी नियमों के तहत गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट स्वतः हटाने पर अपनी पहली अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए उनकी तारीफ की और इसे पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बताया।

अब इन तीनों मंचों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट जारी करने से ट्विटर पर दबाव बढ़ सकता है जिसका नये नियमों को लेकर केंद्र सरकार के साथ गतिरोध बना हुआ है। सरकार ने देश के नये आईटी नियमों का अनुपालन नहीं करने पर तथा इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने पर ट्विटर से नाराजगी जताई थी। फेसबुक ने शुक्रवार को अपनी पहली मासिक अनुपालन ■ शेष पृष्ठ 6 पर

आईटी नियमों का पालना अच्छी पहल

बता दें कि नये सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले बड़े डिजिटल मंचों को हर महीने अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी जिसमें प्राप्त शिकायतों और उन पर की गयी कार्रवाई का उल्लेख किया गया हो।रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया कि 'गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मंचों को नये आईटी नियमों का पालन करते देखना सुखद है। उनके द्वारा नये आईटी नियमों के अनुसार आपत्तिजनक पोस्ट को स्वतः हटाने पर पहली अनुपालन रिपोर्ट का प्रकाशन पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है।

रामदेव ने कोरोनिल बेचने फैलाया झूठ, सुको न दें राहत: डीएमए

नई दिल्ली/ए.। एलोपेथी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद से बाबा रामदेव की मुसीबतें कम होने की नाम नहीं ले रही हैं। अलग-अलग राज्यों में डॉक्टरों द्वारा उन पर मुकदमें किये गए हैं, इनसे राहत पाने के लिए बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट एप्लीकेशन के माध्यम से रिक्वेस्ट की है कि अलग-अलग राज्यों में उनके खिलाफ की गई एफआईआर पर रोक लगाई जाए और प्राथमिकी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए। अब दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में इसमें भी अड़ंगा डालने का मन बना लिया है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर रिक्वेस्ट की है कि बाबा रामदेव द्वारा दाखिल की गई याचिका में उसे भी एक पक्षकार के रूप में शामिल किया जाए। अर्जी में डीएमए ने कहा है कि इस मामले में स्वामी रामदेव को कोई भी राहत नही दी जानी चाहिए। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी याचिका में कहा है कि बाबा रामदेव ने कोरोना वैक्सीन के खिलाफ झूठा प्रोपेगंडा फैलाया है और केंद्र द्वारा स्वीकृत किये गए कोविड ट्रीटमेंट के खिलाफ झूठा प्रचार किया है। याचिका में कहा गया है कि बाबा रामदेव ने ऐसा झूठा प्रचार अपनी पतंजली ■ शेष पृष्ठ 6 पर

चीन ने लद्दाख में तैनात किए 50 हजार सैनिक, एक्शन में आई भारतीय सेना

पेइचिंग/ए.। लद्दाख में जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बैठकों की दौर के बीच चीन ने बॉर्डर पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। यही कारण है कि भारत को भी मिरर डिप्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 50 हजार जवानों को तैनात करना पड़ा। भारत-चीन सीमा पर सैनिकों की इस तैनाती को दशक का सबसे बड़ा सैन्य तनाव बताया जा रहा है। पिछले साल जून मे गलवान हिंसा के बाद से दोनों देशों की सेनाएं पूरी तैयारी के साथ सीमा पर डटी हुई हैं।

पिछले साल से 15 हजार ज्यादा चीनी सैनिक

चीन के खिलाफभी 'ऑफेंसिव डिफेंस' स्ट्रैटिजी

भारत ने चीन के खिलाफऑफेंसिव डिफेंस रणनीति को अपनाया हुआ है। यही कारण है कि लद्दाख में भारतीय सेना ने भी जवानों और हथियारों की भारी तैनाती की हुई है। भारत ने पहले सीमा पर चीनी अतिक्रमण रोकने के लिए सैनिक तैनात कर रखे थे, लेकिन अब दल-बल में भारी वृद्धि करके जवाबी हमला करने और चीनी सीमा में प्रवेश करने की क्षमता भी हासिल कर ली है।

सीमा पर दोनों देश कर रहे हथियारों की तैनाती

यही कारण है कि चीन की संदिग्ध हरकतों को देखकर भारत ने भी सीमा पर नए नए हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। भारतीय सेना लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में चीन से निपटने के लिए के-9 वज्र हॉवित्जर को तैनात किया हुआ है। इसके अलावा टी-90 भीष्म, पिनाका रॉकेट, राफेल, अपाचे, चिनूक जैसे घातक हथियारों को भी बॉर्डर इलाके में रखा गया है। भारतीय सेना रूस में बने लाइटवेट Sprut-SD टैंक को खरीदने पर विचार कर रही है। इतना ही नहीं, इजरायल से खरीदे गए चार हेरोन टीपी ड्रोन को भी एलएसी से एलओसी तक की निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा।

सुझाव

बस्तर अंचल में युवाओं को शासकीय निर्माण कार्यों में बनाए भागीदार

खेतों के ढ़लान वाले हिस्से में बनाएं कुंआ और तालाब : सीएम

■ **आंगनबाड़ियों को बच्चों के लिए आकर्षक बनाएं**

■ **पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा**

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के काम-काज की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में खेती-किसानी को समृद्ध बनाने के लिए सिंचाई जरूरी है। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को मनरेगा के तहत किसानों के खेत के निचले हिस्से में कुंआ और तालाब (डबरी) का निर्माण कराने के निर्देश दिए ताकि खेतों के ऊपरी हिस्से का वर्षा जल कुंओं और तालाब में संग्रहित हो सके। जिससे किसान आवश्यकता के अनुसार पानी लिफ्ट कर सिंचाई कर सके। उन्होंने आवश्यकतानुसार किसानों को पंप उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने वन अधिकार अधिनियम के तहत वनभूमि के पट्टाधारी कृषकों को भी सिंचाई सुविधा के लिए कुंआ एवं तालाब से लाभान्वित किए जाने की बात कही। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, कृषि एवं जलसंसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती रेणु जी पिल्ले, सचिव श्री आर. प्रसन्ना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को वर्षा जल के संग्रहण एवं भू-जल संवर्धन के लिए नालों में स्माल स्ट्रक्चर बनाने का कार्य प्राथमिकता से कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के भू-जल समस्या मूलक 24 विकासखण्डों में नाला उपचार सहित ■ शेष पृष्ठ 6 पर

पंचायत एवं ग्रामीण विकास को नई जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को बस्तर अंचल में ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य में स्थानीय युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कहीं, ताकि निर्माण कार्य को समयावधि में पूरा किया जा सके। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से स्वीकृत एवं निर्मित आंगनबाड़ियों को मुख्यमंत्री ने आकर्षक रूप से रंग-रोगन और वहां बच्चों के लिए खेल सुविधाएं सुलभ कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के विकास, महिला समूहों द्वारा संचालित आय मूलक गतिविधियों में मदद एवं मार्गदर्शन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल की जिम्मेदारी सौंपी।

ईडी ने चीन के लिए जासूसी के आरोपी पत्रकार शर्मा को किया गिरफ्तार

■ **मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई गिरफ्तारी**

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) के तहत दिल्ली के एक स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया है। उन पर पैसों के बदले चीनी खुफिया अधिकारियों को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी मुहैया कराने का आरोप है।

ईडी से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजीव शर्मा को केंद्रीय खुफिया एजेंसी की सूचना के आधार पर पिछले साल 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था। कथित तौर पर गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज मिले थे। पुलिस ने पत्रकार से पूछताछ के बाद एक चीनी महिला और उसके नेपाली सहयोगी को भी गिरफ्तार किया था।

राजीव शर्मा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि रक्षा संबंधी अहम गोपनीय सूचनाएं चीनी खुफिया एजेंसी को देकर उन्होंने डेढ़ साल में 40 लाख रुपये कमाए थे। राजीव शर्मा को प्रत्येक सूचना के बदले 1000 डॉलर मिलते थे। स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया था कि राजीव शर्मा चीनी अखबार 'ग्लोबल टाइम्स' में ■ शेष पृष्ठ 6 पर

न्यूज गैलरी

मुख्यमंत्री बघेल ने अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर का किया शुभारंभ

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज सवेरे यहां अपने निवास कार्यालय से भिलाई के नेहरू नगर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस फिजियोथेरेपी सेंटर का वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इस सेंटर के संचालक श्री अविनाश कुशवाहा सहित उपस्थित सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिजियोथेरेपी का महत्व अस्पतालों से लेकर खेल के मैदानों तक है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के दौरान फिजियोथेरेपी से मरीजों को काफी मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सेंटर में उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ दुर्ग और भिलाई के नागरिकों को मिलेगा। इस अवसर पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन भी उपस्थित थे।

यूनियन बैंक के क्षेत्र महाप्रबंधक रूप लाल मीना का 4 जुलाई को नगरागमन

रायपुर। यूनियन बैंक ऑफइंडिया के मप्र एवं छत्तीसगढ़ के अंचल प्रमुख एवं क्षेत्र महाप्रबंधक श्री रूप लाल मीना का रायपुर मे दिनांक 04 जुलाई को प्रथम आगमन हो रहा है। वे तीन दिनों के छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे जिसमें वे रायपुर एवं बिलासपुर क्षेत्र का दौरा करेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए श्री मीना जी का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इस दौरान खुदरा ऋण वितरण समारोहध्शिविरए शाखा प्रबन्धकों की समीक्षा बैठकए विशिष्ट ग्राहकों के साथ बैठकए वित्तीय समावेशन की समीक्षाए शाखाओं का निरीक्षण इत्यादि कार्यक्रमों मे सम्मिलित होंगे। रायपुर क्षेत्र के क्षेत्र प्रमुख श्री एण् केण् दास ने बताया है कि यूनियन बैंक ऑफइंडिया छत्तीसगढ़ राज्य में समग्र विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है एवं दो और बैंकों के विलय के पश्चात एक वृहद बैंकिंग संस्थान के रूप मे सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

हादसे में मिल्क वैन के ड्रायवर की मौत मंत्रियों के बंगलों के करीब हुई घटना

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार सुबह एक हादसा हो गया. यहां शंकर नगर जाने वाली कैनाल रोड पर भारत माता चौक के करीब पिकअप वाहन और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई. पिकअप वाहन देवभोग दूध कंपनी की गाड़ी थी, जिसके सामने के कुछ हिस्सों के परखच्चे उड़ गए. उसमें मदर डेयरी का दूध रखा हुआ था, जो हादसे में सड़कों पर पसर गया. वहीं कार को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है. बुरी खबर ये है कि हादसे में मिल्क वैन के ड्राइवर की मौत हो गई. घटना कैसे हुई, और इसमें गलती किसकी है इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता. जहां ये हादसा हुआ है वो जगह रायपुर का वीआईपी इलाका है।

हेलमेट गैंग दंपति ने एक परिवार को बंधक बनाकर लूटे लाखों के जेवर

रायपुर/नवप्रदेश। डीडी नगर थाना क्षेत्र के सरोना स्थित सालासर ग्रीन्स में रहने वाले एक परिवार को बंधक बनाकर जेवर लूटने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को देखे तो उसमें एक युवक व महिला हेलमेट पहने जाते हुए दिख रहे है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफअपराध दर्ज कर जांच में लिया है। सालासर ग्रीन्स के फ्लैट नंबर एफ605 में रहने वाली महिला धर्मशीला ने थाना में शिकायत किया कि शुक्रवार को करीब साढ़े 4 बजे उसके घर का डोर बेल बजा उस वक्त वह अपने पुत्र तनिष्क के साथ घर में मौजूद था। तभी घर के दरवाजे में खड़े युवक-युवती ने वैक्सीन की डोज लगवाने के बारे में बात करती है। जिसके बाद पीने के लिए पानी की मांग करते थे। जिस पर प्रार्थिया धर्मशीला ने आईडी कार्ड पूछा तो आरोपियों ने जबरन घर के अंदर घुसकर उसके पुत्र तनिष्क के गर्दन पर चाकू अड़ा दिया और स्प्रे से महिला को बेहोश कर दिया। जिसके बाद आरोपियों ने रस्सी से महिला के हाथ पैर को बांध दिया। वहीं उसके पुत्र को बाथरूम में बंद कर आलमारी में रखे जेवरों पर हाथ साफकर दिया। जिसके बाद आरोपी दंपत्ति वहां से भाग निकले। आरोपियों के जाने के बाद महिला ने आवाज लगाई तो पड़ोसियों ने आकर दरवाजा खोला।

बेटी की शादी में कर्ज हो जाने का झांसा देकर साढू से ठग लिए 8 लाख रुपये

रायपुर/नवप्रदेश। बेटी की शादी में लाखों रुपये का कर्ज होने का झांसा देकर अपने साढू से 8 लाख रुपये लेकर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट सिविललाईन थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार अवन्ति विहार तेलीबांधा निवासी राजु रामटेके 55 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 21 दिसंबर 2015 में प्रार्थी का साढू भूषण खतारे प्रार्थी के घर आकर उसने बेटी के शादी में ज्यादा कर्ज हो गया है उसे चुकाना है कहकर 8 लाख रुपये उधार लिया। उधार के पैसों के बदले छिंदवाड़ा में अपनी जमीन का कुछ हिस्सा प्रार्थी के नाम रजिस्ट्री कर देने की बात कही थी। जिसके बाद पीड़ित ने अपने साढू को 8 लाख रुपए दे दिए थे। आरोपी ने जमानत के तौर पर बतौर अपना चेक एवं बैंक की पास बुक दे दी थी। इस बात से संतुष्ट होने पर राजू ने रकम की देनदारी की नोटरी भी कराई थी। मगर पैसे उधार लेने के बाद आज तक पीड़ित का साढू भूषण ने रकम वापस नही की। आरोपी ने पीड़ित से आठ लाख रुपए उधार लेकर फरार हो गया है।

नगदी, मोबाईल व स्कूटी लूटकर भागने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

रायपुर/नवप्रदेश। दो अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति का मोबाईल,स्कूटी एवं नगदी रुपये लूटकर भाग गए। मामले की रिपोर्ट खम्हारडीह थाना पुलिस ने छह घंटे के भीतर ही आरोपियों को धरदबोचा है और लूटे गए सामानों को भी बरामद कर लिया है।मिली जानकारी के अनुसार हाउसिंगबोर्ड कालोनी कचना निवासी देवराज बाग 33 वर्ष पिता काशी बाग ने थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि गुरुवार की देर रात अपनी स्कूटी खड़ी कर कचना पेट्रोलपंप के पास मोबाईल पर बात कर रहा था। तभी 2 अज्ञात लडके आकर किससे बात कर रहा है कहकर डरा-धमका कर मारपीट कर एक सेमसंग मोबाईल व पर्स जिसमें नगदी 350 रुपये तथा स्कूटी क्रमांक सीजी12 एबी 6688 को लूट कर भाग गए।

2 रू किलों में गोबर खरीदी और 10 रू में किसानों को वर्मी कम्पोस्ट

- रमन सिंह और भाजपा इन योजनाओं को लेकर भ्रम फैलाने और गुमराह करना बंद करें
- रमन सिंह कांग्रेस सरकार को कैसे किसान विरोधी कह सकते है
- किसान विरोधी तो स्वयं रमन सिंह और भाजपा की सरकारें हैं

छत्तीसगढ़ की किसान हितैषी सरकार की अद्भूत सफल जनतिहकारी योजना

रायपुर/नवप्रदेश। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक धनेन्द्र साहू ने किसानों, पशुपालको और मजदूरों से 2रू. किलों में गोबर खरीदने की छत्तीसगढ़ सरकार की अद्भुत सफल एवं जनहितकारी योजना को लेकर भ्रम फैलाने और गुमराह करने का कड़ा प्रतिवाद करते हुये कहा है कि दरअसल रमन सिंह को खेती किसानी, गांव, गरीबों की समझ ही नहीं है। वे गोबर और वर्मी कंपोस्ट में अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में देश में सबसे अच्छा वर्मी कम्पोस्ट किसानों को दिया जा रहा है। वर्मी कम्पोस्ट के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान गौपालक गोठान समूह में कार्यरत किसान मजदूर और महिला स्व-सहायता समूहों की मेहनत का अपमान है। रमन सिंह को न कभी गांव, गरीबों, मजदूरों, किसानो, गौपालको की चिंता रही है, और न ही वे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, रीति-रिवाज और खेती किसानी को समझते है। रमन सिंह को तो यह भी नहीं पता कि गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनता कैसे हैं? वर्मी कम्पोस्ट बनाने की प्रक्रिया क्या है? गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनने में क्या-क्या बदलाव होते हैं और यह वर्मी कंपोस्ट खेतों में जाकर क्या काम करता है? अगर रमन सिंह जी में यह समझ होती तो वे वर्मी कम्पोस्ट के खिलाफ ऐसा गलत एवं तथ्यहीन बयान जारी नहीं करते।

कभी नीम सोना की तो कभी नीम रत्न

पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक धनेन्द्र साहू ने कहा है कि यदि छत्तीसगढ़ ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहा है तो भाजपा और रमन सिंह को तकलीफक्यों हो रही है? छत्तीसगढ़ में किसानों को बाध्य करने का काम रमन सिंह 15 साल के शासनकाल के समाप्त होते ही बंद हो चुका है। बल्कि वर्मी कंपोस्ट के लाभ को प्रचारित कर ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बाध्यता तो रमन सिंह के 15 साल के समय में थी जब कमीशनखोरी के चलते कभी नीम सोना की तो कभी नीम रत्न में जैसे उत्पादों के लिये बिना यूरिया और डीएपी किसानों को नहीं दिया जाता था। आज भूपेश बघेल सरकार में किसानों पर कोई दबाव नहीं। दरअसल पूंजीपतियों के समर्थक रमन सिंह और भाजपा गांव, गरीब, किसान और गौपालको की समृद्धि को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे है। भाजपा का मूल चरित्र ही किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है।

गोबर से वर्मी कम्पोस्ट

गोठान समिति के द्वारा दो रुपए किलो गोबर का भुगतान होता है और गोबर से वर्मी कम्पोस्ट गोठान समिति के सदस्यों के साथ मिलकर महिलाओं की स्व-सहायता समूह के 45 दिन के मेहनत भरी प्रक्रिया के बाद बनता है। प्रक्रिया के उपरांत 45 दिन बाद तैयार वर्मी कंपोस्ट को फिर पैकिंग करके खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था गोठान समूह और स्व-सहायता समूह के द्वारा की जाती है। उसके बाद वर्मी कम्पोस्ट का 10 रूपये किलो मिलता है। रमन सिंह के 15 साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के चलते हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट विभाग में सरकारी उपयोग के लिए वर्मी कंपोस्ट बाहरी एजेंसियो से खरीदा जाता रहा। दलालों और बिचौलियों के माध्यम से बाहर की कंपनियों से खरीदी होती थी। स्थानीय मजदूर, किसान और गरीबों को न काम मिलता था न ही कोई लाभ। भाजपा के 15 साल के कुशासन में केवल कमीशन खोरी और घोटाले के षड्यंत्र ही रचे जाते रहे।

बिलासपुर की युवती ने रायपुर के एम्स में लगाई फांसी

रायपुर। राजधानी रायपुर में एम्स की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। युवती बीएससी पैरामेडिकल फर्स्ट इयर की छात्रा थी। मृतका की शिनाख्त साक्षी दुबे के रूप में हुई है, ये पूरा मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक साक्षी दुबे बिलासपुर की रहने वाली है। रायपुर एम्स में बीएससी पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आमानाका थाना पुलिस ने बताया कि एम्स के हॉस्टल में छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। मृतका बीएससी पैरामेडिकल प्रथम वर्ष की छात्रा थी, जो मूलतः बिलासपुर जिले की रहने वाली है। कल देर रात छात्रा ने फांसी लगाई है। सुबह दरवाजा न खोलने पर उसके साथियों ने पुलिस प्रबंधन को सूचना दी है।

यूनिक लैंड पार्सल आईडेंटिफिकेशन शुभारंभ कबीरधाम जिले के ग्राम अगरीकला से

रायपुर/नवप्रदेश। यूनिक लैंड पार्सल आईडेंटिफिकेशन नंबर (यूएलपीआईएन) योजना के द्वारा अब जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल एवं ग्राम का चयन किए बिना ही सीधे भूखंड की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पूर्व में भूखंड की पहचान जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल और ग्राम के कॉम्बिनेशन से प्राप्त खसरा नंबर से होती थी। इस योजना का वर्चुअल विधिवत उद्घाटन राजस्व सचिव छत्तीसगढ़ सुश्री रीता शांडिल्य सचिव श्री अजय तिर्की और अतिरिक्त सचिव श्री हुकुम सिंह मीणा, भूमि संसाधन ग्रामीण विकास मंत्रालय केन्द्र सरकार की उपस्थिति में किया गया। इस योजना के शुभारंभ के लिए कबीरधाम जिले के ग्राम अगरीकला का चयन किया गया है।

यूनिक लैंड पार्सल आईडेंटिफिकेशन नंबर योजना के संबंध में बताया गया कि प्रत्येक भूखंड के जियो-रिफरेंस लैट्टियूड या लांगिट्यूड कोर्डिनेंट्स के आधार पर कम्प्यूटरीकृत 14 अंकों का यूनिक आईडी ऑटोजनरेट होता है। प्रत्येक भूखंड को यूएलपीआईएन नंबर दिए जाने से भूखंड से संबंधित समस्त जानकारी एक ही नंबर से प्राप्त की जा सकेगी। जियो रिफरेंस के साथ प्रत्येक भूखंड के यूएलपीआईएन नंबर दिए जाने से भूखंड की वास्तविक स्थिति आसानी से उपलब्ध होगी।

मोदी सरकार छग को वैक्सीन देने में कर रही है भेदभाव

रायपुर/नवप्रदेश। मोदी सरकार ने जुलाई माह के वैक्सीन आबंटन में छत्तीसगढ़ के मांग में 76 लाख डोज वैक्सीन कम कर दी। कांग्रेस ने इसे वैक्सीन देने में भेदभाव और पक्षपात निरूपित किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए जुलाई माह में एक करोड़ वैक्सीन डोज देने की मांग मोदी सरकार से की गयी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है वैक्सीन देने में भी मोदी भाजपा की सरकार भेदभाव कर रही है। छत्तीसगढ़ की मांग के विपरीत जाकर लगभग 76 लाख डोज वैक्सीन की कटौती कर दी गई है।

यह छत्तीसगढ़ के आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। छत्तीसगढ़ के नागरिकों को प्रथम एवं सेकंड डोज लगाने के लिए अब तक हुये वेक्सीनेशन के पश्चात लगभग 3 करोड़ 44 हजार 362 वैक्सीन डोज की आवश्यकता और है। लेकिन जुलाई माह में मोदी सरकार मात्र 24 लाख 1 हजार के लगभग वैक्सीन का आबंटन छत्तीसगढ़ के लिए किया है। भाजपा शासित राज्यों को मांग के अनुसार एवं अतिरिक्त वैक्सीन डोज की सप्लाई की जा रही है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पूछा है कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक एवं भाजपा के 9 सांसद, 2 राज्यसभा सदस्य मोदी सरकार के द्वारा वैक्सीन देने में किए जा रहे भेदभाव पर मौन क्यों हैं? भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ के 18 प्लस वाले 1 करोड़ 6 लाख 28 हजार 2 सौ 12 एवं 45 साल वाले 11 लाख लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन का प्रथम डोज लगाने का प्रयास कर रही है इस पर मोदी सरकार वैक्सिन की आपूर्ति बाधित कर क्यो अड़ंगा लगा रही है? पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह एवं भाजपा सांसदों को छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि वैक्सीन देने में किये जा रहे भेदभाव को लेकर मोदी सरकार से विरोध क्यों नहीं किया है?

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि महामारी की तीसरी लहर के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ के शत-प्रतिशत जनता को वैक्सीन का प्रथम डोज लगाने का प्रयास कर रही है छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 4 लाख हितग्राहियों को वैक्सीन की डोज लगाने की क्षमता है लेकिन मोदी सरकार के वैक्सीन देने में पक्षपातपूर्ण रवैये के चलते छत्तीसगढ़ के नागरिकों को वैक्सीन के लिए भटकना पड़ रहा है और भाजपा के नेता मौन रहकर मोदी सरकार के वैक्सीन देने में भेदभाव का का समर्थन कर रहे हैं।

मनरेगा से बने डबरी से मिला सिंचाई का साधन, सब्जी की खेती से गोपाल ने बढ़ाई कमाई

रायपुर/नवप्रदेश। कई बार महज एक साधन आपकी समस्या रुपी ताले की चाबी बन जाता है। ऐसी ही एक चाबी कोरिया जिले के किसान श्री गोपाल सिंह के हाथों लग गई है। इस चाबी से उन्होंने खुद का सिंचाई का साधन न होने की समस्या रुपी ताले को खोल लिया है। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) से गोपाल के खेत में निर्मित डबरी ने उसे सब्जियों की खेती की कुंजी दे दी है जिसकी कमाई से परिवार की आमदनी लगातार बढ़ रही है। डबरी खुदाई के बाद उनके खेतों में हरियाली अब दूर से ही नजर आने लगी है। इस साल आई पहली बारिश से डबरी में जमा हुए पानी से गोपाल की सब्जियों की नई फसल बिकने को तैयार हो गई है। भिंडी और बरबट्टी की पैदावार के बाद अब जल्दी ही मनेन्द्रगढ़ के बाजारों में उनके उगाए मिर्च और बैगन भी नजर आएंगे।

मनरेगा से खेत में डबरी खुदाई के बाद कोरिया के मनेन्द्रगढ़ विकासखण्ड के डंगौरा में रहने वाले गोपाल अब अकुशल रोजगार की चिंता से मुक्त हो गए हैं। खुद का सिंचाई का साधन विकसित हो जाने से उनकी कई समस्याओं का एक साथ निदान हो गया है। पहले सिंचाई की सुविधा नहीं होने से वे अपने दो एकड़ खेतों के लिए पाइप लगाकर दूर नदी से पानी लाते थे। इसमें काफी समय और श्रम लगता था। असामाजिक तत्वों द्वारा कभी पाइप या तार काट देने से आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता था। डबरी बन जाने से इन परेशानियों से मुक्ति मिल गई है। अब गोपाल के खेतों में पर्याप्त हरियाली है। सब्जियां बेचकर वे परिवार की जरूरतों को आसानी से पूरा कर रहे हैं। इस साल अप्रैल-मई में लॉक-डाउन के दौरान उन्होंने हर सप्ताह तीन से चार हजार रूपए की सब्जी बेची। अब बारिश के मौसम की अग्रिम खेती से भी उन्हें हर सप्ताह दो से ढाई हजार रूपए का लाभ मिलना शुरू हो गया है।

छग राज्य ओपन की हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी की मुख्य एवं अवसर परीक्षा वर्ष

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर के हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी की मुख्य एवं अवसर परीक्षा वर्ष 2021 की परीक्षाओं में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सचिव प्रोफेसर व्ही. के. गोयल ने आज यहां बताया कि हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी की परीक्षा में सम्मिलित ऐसे छात्र जिन्होंने उन विषयों का चयन किया है जिसमें प्रायोगिक परीक्षायें होती है उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित नहीं की जायेगी। उनके सैद्धांतिक परीक्षा में पूर्णांक 75 अंक में प्राप्त अंकों को अनुपातिक रूप से पूर्णांक 100 अंकों के आधार पर प्राप्तांक प्रदान किये जायेंगे।

आंगनबाड़ी केंद्रों में 7 से 16 जुलाई तक वजन त्यौहार का आयोजन

कलेक्टर ने पार्षदों और सरपंचों से सहयोग की अपील की

जोनल और नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण सत्र आयोजित

रायपुर/नवप्रदेश। बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाने की दृष्टि से आगामी 7 से 16 जुलाई तक रायपुर जिले के सभी 1882 आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है। वजन त्यौहार के तहत 11 से 18 वर्ष की सभी किशोरी बालिकाओं का हिमोग्लोबिन टेस्ट तथा इनका वजन एवं ऊंचाई का मापन करते हुए बी.एम.आई. भी निकाला जाना है।

कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने इस संबंध में रायपुर जिले के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के पार्षदों और ग्राम पंचायतों के सरपंचों से अपील की है कि वे अपने वार्ड क्षेत्र तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वजन आगनबाड़ी केंद्र पर कराए तथा किशोरी बालिकाओं के हिमोग्लोबिन जांच हेतु लोगों को जागरूक करने तथा सहभागिता सुनिश्चित करने में सहयोग दें।

बैठक | जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न

मनरेगा कन्वर्जेंस से कराए ग्रामीण विकास के काम : सोनी

रायपुर/नवप्रदेश। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आज यहां कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में समिति के अध्यक्ष एवं सांसद श्री सुनील सोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। श्री सोनी ने कहा कि मनरेगा कन्वर्जेंस से ग्रामीण विकास के कई महत्वपूर्ण काम कराए जा सकते हैं। इससे गांव में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को सही समय पर शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री सोनी ने कोविड 19 की संभावित तीसरी लहर के प्रभाव और इसके रोकथाम करने की दृष्टि से जिले में की गई प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हितग्राहियों को लाभांवित करने को कहा। उन्होंने हाईवे से लगे गांवों में भी सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था करने तथा वहां पानी और स्वीपर की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण भी सतत रूप से करने को कहा।

रेलवे ट्रैक के पास बसे लोगों को व्यवस्थापित करने की चर्चा

उन्होंने स्वीकृत कार्यों तथा अगर किसी कारणवश स्वीकृत कार्य निरस्त होते है तो इसकी जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से देने को कहा। उन्होंने रेलवे ट्रैक के समीप बसे लोगों को भी व्यवस्थापित करने के संबंध में चर्चा की।

बैठक में मनरेगा ,दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, अंत्योदय योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन ,ग्राम सड़क योजना, सामाजिक पेंशन योजना, आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वाइल हेल्थ कार्ड, राज्य कृषि विकास योजना, सर्व शिक्षा अभियान ,बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, डिजिटल इंडिया ,प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं समीक्षा की।

बैठक में विधायक एवं संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, विधायक एवं छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, विधायकगण श्री सत्यनारायण शर्मा, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा, प्रमोद शर्मा, नगर निगम के महापौर श्री एजाज ढेबर, जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष सहित कलेक्टर श्री सौरभ कुमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी, डीएफओ श्री विशवेस कुमार, नगर निगम रायपुर कमिश्नर श्री प्रभात मलिक, स्मार्ट सिटी रायपुर के अतिरिक्त प्रबंध संचालक श्री चंद्र कुमार वर्मा सहित विभागीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

न्यूज गैलरी

रोका छेका पुरातन संस्कृति से जुड़ा उपयोगी प्रबंधन : वर्मा

दुर्ग। पूर्व महापौर एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आरएन वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गर्व होता है। जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही छत्तीसगढ़ मे गांधी के सुराजी गांव योजना के तहत, गांवो को आत्मनिर्भर बनाने तथा छग में अपने पूर्वजों द्वारा बनाये गये अनेको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी संस्कृति प्रबंधन एवं विरासतो को जिन्हें हमने भूला दिया था को लागू करवा रहे है। उसी का एक अंग है रोका छेका कार्यक्रम जिसे प्रभावी ढंग से लागू कराने मुख्यमंत्री लगे हुए है। रोका छेका अभियान से जहां गांवो में किसान अपने फसलों की सुरक्षा कर सकेगे। वही दूसरी ओर पशुधन को दुर्घटना एवं बीमारी से समय में बचाने में मददगार होगा। श्री वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा गत वर्ष से चालू कराया गया। रोका छेका अभियान का प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक एवं व्यवस्थागगत लाभ गांवो में एवं शहरो में दिखाई देने लगा है।

डेंगू का लार्वा मिला तो होगा जुर्माना निगम आयुक्त ने दिए निर्देश

भिलाई। घर, दुकान, ऑफिस या प्राईवेज हास्पिटलों में मच्छर का लार्वा मिला तो जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। डेंगू नियंत्रण अभियान के तहत बार बार समझाईश के बाद जलजमाव करने या लार्वा मिलने वाले घरो व दुकानों पर जुर्माने की कार्यवाही जारी है। बारिश के सीजन में जलजमाव की वजह मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, चूंकि डेंगू के मच्छर गंदे पानी के बजाय साफ पानी में पनपता है इसलिए घर के कूलरए छत पर रखे हुए पुराने बर्तन व टायर तथा दुकान व ऑफिस में जाम पानी की जांच की जा रही है। इन जगहों पर जांच में डेंगू का लार्वा दिखे तो संबंधित पर सीधे जुर्माना लगाने के निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया है। डेंगू से बचाव के लिए निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर रविवार डेंगू पर वार अभियान छेड़ा है। नागरिकों से सप्ताह में एक दिन घर के आस पास सफाई और पात्रों में भरे हुए पानी की सफाई कराया जाएगा। इसके बाद भी कहीं पर जलजमाव करने जहां लार्वा उत्पत्ति की संभावना हो तो जुर्माना की कार्रवाई करने के लिए निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने निर्देश दिए है। डेंगू, मलेरिया, व फाईलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए प्रशासनिक सख्ती जरूरी है। वेक्टर जनित रोग डेंगू से बचाव के लिए निगम का अमला घर घर जाकर कूलर का पानी की जांच, टेमिफॉस छिड़काव किया जा रहा है। मच्छरों के काटने से होने वाले डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हेतु जागरूकता जरुरी।

डायवर्सिटी पार्क के लिए विधायक ने वनमंत्री अकबर से मांगे 1 करोड़

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। शहर में 14 करोड़ की लागत से बन रहे ठगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट के साथ ही बांध से लगे हुए क्षेत्र में ही दुर्ग भिलाई के बीचोबीच आम जनता को बायो डायवर्सिटी पार्क के रूप में 250 एकड़ का एक और मनोरंजन स्थल की सौगात मिलने जा रही है। काफी लंबे समय से उपेक्षित रहे क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पहल करने के साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने पूरी सक्रियता से पार्क के विकास का बीड़ा उठाया है। पखवाड़े भर में ही दो बार दौरा करने के बाद उन्होंने पार्क में मनोरंजन एवं आमोद प्रमोदए स्वास्थ्य लाभ एवं पर्यावरण सुधार की संभावनाओं को देखते हुए इस संबंध में वन मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात कर वहां के संसाधनों को विकसित करने के लिए 1 करोड़ रु की राशि स्वीकृत करने का आग्रह करते हुए कहा कि दुर्ग और भिलाई के मध्य में स्थित होने के कारण दोनों ही क्षेत्र की जनता को शहर के मध्य में वन क्षेत्र जैसा अनुभव और स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण का अहसास मिल सकेगा। डायवर्सिटी पार्क में विकास करने की अपार संभावनाएं हैं जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की वन एवं वनांचल संस्कृति की जानकारी देने म्युज़ियमए पाथवे युक्त वाकिंग ट्रैकए ओपन जिम एवं चिल्ड्रन पार्क का निर्माण करने से लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। वन मंत्री ने विधायक वोरा को आश्वस्त करते हुए कहा कि जल्द ही राशि स्वीकृत कर शहरी क्षेत्र में स्थित वन क्षेत्र का विकास किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष निर्देश पर राज्य में कई स्थानों पर शहरी वन विकसित किए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत दुर्ग में भी बायो डायवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है जहां 250 एकड़ में फैले इस क्षेत्र में वेटलैंड की वजह से अनेक प्रवासी पक्षियों का भी बसेरा होगा जिनकी बसाहट एवं ब्रीडिंग के लिए पूरे सरोवर में फेंसिंग कराई जा रही है। पार्क में ओपन थिएटरए लोटस पौंड एवं तालाबों में बोटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। भविष्य में यह पार्क पैराडाइस फ्लाई कैचरए ग्रे हर्निबल और व्हिसलिंग डक्स जैसे पक्षियों का आशियाना बनेगा। साथ ही मेमोरियल कॉर्नर में लोग अपने परिजनों के नाम से वृक्षारोपण कर प्रियजनों की स्मृतियां सुरक्षित रख सकेंगे।

साइकिल यात्रा के दौरान राज्य शासन का वन होम, वन ट्री अभियान आरंभ

महापौर पहुंचे तकियापारा व शिक्षक नगर, लिया जायजा

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने आज वार्ड 7 और 8 शिक्षक नगर एवं तकियापारा क्षेत्र के अलावा लुचकीपारा बस्ती और तकियापारा की गली गली घूमकर समस्याओं का जायजा लिया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित कर कहा बारिश शुरू हो गई है वार्ड के सड़कों परएसड़क किनारे पानी का भराव ना हो उसका निराकरण करने निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान शहर अध्यक्ष गया पटेल, लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी, स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोखर, पार्षद मनदीप सिंह भाटिया, पार्षद बिजेंद्र भारद्वाज, एल्डरमेन रत्ना नारमदेव, विजयन्त पटेल आदि नागरिक उपस्थित थे। उन्होंने मोहल्ले के कुछ जगहों पर नाली में सफाई नही होने के कारण पानी की निकासी नहीं होने से सड़कों मे भर जाता है पानी उन्होंने बस्ती में छोटी नाली और बड़ी नालियों में गेंग लगाकर सफाई करवाएं। साइकिल से वार्ड 7 और 8 पहुंचे महापौर ने लुचकी पारा बस्ती और पकिया पारा मोहल्ला के गलियों में घूमघूम कर सड़कों और नालियों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वार्ड इंजीनियरों को निर्देशित कर कहा की वार्डो में इस तरह की समस्या क्यों आ रही है। महापौर बाकलीवाल ने कहा बारिश के समय सड़कों और नालियों की किनारे झाड़ियां उग आती है जिससे बारिश का पानी जाम होने की स्थिति बनती है ऐसे जगहों की साफ सफाई तत्काल कराएं उन्होंने स्लम बस्ती और मोहल्लों में घंटो रहकर वार्ड के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। महापौर बाकलीवाल निरंतर वार्डो का दौरा कर रहे है।

अखिलेश अध्यक्ष व गोपीनाथ बने सचिव

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। डा. अखिलेश यादव एवं रोटेरियन राजीव गोपीनाथ ने प्रतिष्ठित रोटरी क्लब भिलाई स्टील सीटी के अध्यक्ष एवं सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। हर वर्ष 1 जुलाई से रोटरी इन्टरनेशनल क्लब का विधिवत नया सत्र प्रारम्भ होता है। इस वर्ष का रोटरी थीम है। सचिव राजीव ने बताया कि रोटरी क्लब भिलाई स्टील सिटी इस महामारी के समय जरूरत मंदों व गरीबों की मदद करने का हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि रोटरी क्लब भिलाई स्टील सिटी दृष्टीहीन बच्चों को पढ़ाने के लिए जिले का एक मात्र विद्यालय नयनदीप विध्या मंदिर का संचालन करती है जिसमे करीब 27 दृष्टिहीन बच्चे अध्ययनरत है। इस प्रतिष्ठित क्लब से संबद्ध 12 इन्टरेक्ट क्लब एवं 4 रोटरेक्ट क्लब मिलाई.दुर्ग मे कई सामाजिक व जागरुकता अभियान क्लब के मार्गदर्शन मे कर रही है। डा. यादव एवं समस्त नवगठित कार्यकारिणी को पूर्व अध्यक्ष साजन जेम्स, राजदीप सेन, एस सजीव, सीएस बाजवा, पीएस बिंद्रा, उमेश सिंह, संतोष राय, अमित श्रीवास्तव, विकास सिंहा, रमेश पटेल, लालवानी, एमसी जैन, विक्रम दुबे, आरके हान्डा, ब्रिजेश एवं समस्त रोटरी सदस्य ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

एसआर हॉस्पिटल में 251 कोरोना वारियर्स का सम्मान

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। डॉक्टर्स डे के अवसर पर एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा करने वाले मेडिकल स्टाफ का सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान धन्वंतरि की विधिवत पूजा अर्चना कर की गई। वैश्विक महामारी कोविड.19 के दौरान 24 घंटे कोरोना संक्रमित मरीजो को सेवाए प्रदान करने वाले समस्त स्टाफ एवं डॉक्टरों का सम्मान प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, बैच लगाकर पुष्प भेंट कर किया। समारोह का आयोजन अस्पताल परिसर में किया गया। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चेयरमैन संजय तिवारी के द्वारा प्रत्येक कोरोना वारियर्स को स्वयं के हाथों सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुगम सावंत ने कहा कि इस वैश्विक महामारी से लोगों को बचाने में करीबन 800 चिकित्सकों के द्वारा अपनी जान गवाई हैं इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ फ्रंटलाइन वर्कर्स निगम कर्मचारी पुलिस प्रशासन के द्वारा भी बहुत कुछ खो कर लोगों की प्राणों की रक्षा करने में अथक परिश्रम यह है इसे ध्यान में रखकर नागरिकों को चाहिए कि भविष्य में भी कोविड.19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से करें। चेयरमैन तिवारी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर्स डे समारोह देश के महान चिकित्सक एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री डॉ विधान चंद्र राय की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है। अस्पताल में प्रत्येक डॉक्टर सहित पैरामेडिकल स्टाफ ने दिन और रात अथक प्रयास करके अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले एक एक मरीज की जान बचाने के लिए संघर्ष किया है। डॉक्टर्स डे के अवसर पर इन सभी कोरोना वारियर्स डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की सराहना करते हुए सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया। इस दौरान डॉक्टर सतीश मेश्राम, डॉ. लाल मोहम्मद, डॉ. केडी तिवारी, डॉ. शुभम सावंत, डॉ. एपी सावंत, डॉ. अखिलेश यादव, डा. मनीष खरे, डा. बलराम साहू, डा. दिनेश सिंह, डॉ दीपक सिन्हा, डॉ विवेक शर्मा, डॉ. सुशांत कांडे, डॉ. अनुपम लाल, डा. धर्मवीर चंद्राकर, डा. यतींद्र देवांगन, डा. बसंत चौरसिया, डा. सिद्धार्थ बनर्जी, डॉ. विश्वामित्र दयाल, डा. पार्थ शंकर का सम्मान पुष्पगुच्छ, प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एवं बैच लगाकर किया। इसके अलावा कोरोना वारियर्स में चेतना शुक्ला, प्रियेश मिश्रा, डॉ. अश्वनी शुक्ला, डा. संदीप ओझा, डॉ. मधुकर, डॉ. पार्थो शंकर चक्रवर्ती, डा. प्रेम चंद्राकर, आशा कुटे, हरिकुमार साहू, सुचित्रा पैकरा, संतोषी ठाकुर, पार्वती सिंह, नूतन वर्मा, श्रद्धा निशी मांडले, तारा पटेल, धर्मेंद्र देवांगन एवं धमधा दुर्ग तथा भिलाई क्षेत्र की अनेक मितानिनों का सम्मान किया गया।

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती देवहूति साहू पति बृजभूषण लाल साहू निवासी ग्राम केलाबाड़ी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 631/1 का टु. रकबा 0.0110 हे. भूमि को विक्रेता श्रीमती भारती गुप्ता पति डॉ. स्व. विजय सिंह गुप्ता निवासी ग्राम आपापुरा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 18.03.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 16.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 03 जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री नरेन्द्र कुमार साहू व अन्य पिता स्व. कुंजराम साहू निवासी वार्ड 56 उरला दुर्ग तह. व जिला दुर्ग मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 198/4, 418/1, 513/1 589, 679, 246/4 रकबा 0.1950, 0.087, 0.0120, 0.1050, 0.2550, 0.056 हे. कुंजराम साहू व श्रीमती बिमला साहू के नाम पर दर्ज है, भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 11.04.2021 को हो जाने के कारण वारिसानों का नाम दर्ज करने आवेदन पेश किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 12.07.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री राजेश आ. अनुभन्तो साकिन भिलाई द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 19/22 रा.नि.मं. दुर्ग-01 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 843/11 रकबा 0.0200 हे. जो उसके स्व. अनुभन्तो के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 16.07.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार अहिवारा 2 तह. धमधा जिला दुर्ग

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-21
ई. पंजी. 202103104000047
मौजा- बागडुमर प.ह.न. 28

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अजीत कुमार सिंह पिता स्व. कामेश्वर सिंह साकिन बागडुमर तहसील धमधा व जिला दुर्ग के द्वारा आवेदन किया है कि मौजा ग्राम बागडुमर प.ह.न. 28 रा.नि.मं. अहिवारा तहसील धमधा जिला स्थित भूमि खसरा नंबर 895, 896/1, 897, 898/2, 899, 900 रकबा क्रमशः 0.53, 0.20, 0.32, 0.74, 0.21, 0.50 हे. राजस्व अभिलेख में कामेश्वर पिता राजवल्भ सिंह के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज है। उक्त भूमि के भूधारक/सहखातेदार कामेश्वर पिता राजवल्भ सिंह की मृत्यु दिनांक 14.11.2019 को गया है। मृत्यु पूर्व आवेदक के पिता/भूधारक द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा विलेख क्रमांक 147 दिनांक 23.06.2017 को आवेदक के पक्ष में निष्पादित किया गया है। जिसके आधार पर उक्त भूमि पर से मृतक भूधारक का नाम विलोपित कर आवेदक का नाम नामांतरण दर्ज करने हेतु इस न्यायालय में निवेदन किया है। जो प्रक्रियाधीन है।

अतएव इस आवेदन के संबंध में विधिक आपत्तियों/ दावा रखने वाला व्यक्ति/संस्था स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 20.07.2021 को स्थान उप तहसील अहिवारा में लिखित आवेदन कर निवेदित कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नही किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 15.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के सील मुहर से जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, अहिवारा 02

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती सीता दास मानिकपुरी पति स्व. जागेश्वर दास साकिन रिसाली द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 829/20, 22/17 रकबा 0.020, 0.003 हे. जो उसके स्व. जागेश्वर दास मानिकपुरी के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 05.07.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती वीणा दुबे पति स्व. अखिल दुबे साकिन कादम्बरी नगर दुर्ग द्वारा ग्राम झेझरी प.ह.न. 19 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 620/2 रकबा 0.410 हे. जो उसके स्व. अखिल दुबे आ. हरिशंकर दुबे के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 15.07.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 28.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका सुमन प्रजापति पति सुधीर कुमार निवासी अम्बेडकर नगर उरला दुर्ग मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 830/11 रकबा 0.0110 हे. भूमि को विक्रेता/आम मुख्तयार विक्रम सिंह राजपूत पिता रामनारायण सिंह राजपूत से दिनांक 04.03.2021 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 06.07.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 30.06.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री आशुतोष पैकरा पिता टी.आर. पैकरा निवासी म.न. 14/31, 32 बंगला सेक्टर 8 भिलाई दुर्ग मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 794/2 रकबा 0.137 हे. मे से 2500 वर्गफीट भूमि को विक्रेता/आम मुख्तयार अहिल्या पैकरा पति टी.आर. पैकरा से दिनांक 17.06.2021 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 16.07.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 03 जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका वीणा दुबे पति स्व. अखिल दुबे निवासी 48/ए कादम्बरी नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग मौजा सिकोला प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 253/63 रकबा 0.0110 हे. अखिल दुबे के नाम पर दर्ज है, भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 15.04.2021 को हो जाने के कारण वारिसानों का नाम दर्ज करने आवेदन पेश किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 15.07.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 30.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 03 जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका पुष्पा ठाकुर पिता/पति देवलाल ठाकुर निवासी रिसाली सेक्टर भिलाई मौजा बघेरा प.ह.नं. 48 रा.नि.मं. दुर्ग तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 332/12 रकबा 0.022 हे. देवलाल के नाम पर दर्ज है, भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 21.11.2019 को हो जाने के कारण वारिसानों का नाम दर्ज करने आवेदन पेश किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 16.07.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01.07.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक रवि दानी पिता स्व. शरद दानी निवासी सांकेत कालोनी दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम बोरई प.ह.नं. 03 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 1136/1 रकबा 0.420 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता नितिन अग्रवाल पिता अशोक अग्रवाल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 09.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.06.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका रत्ना दानी पति रवि दानी निवासी एसएएफ लाईन कातुलबोर्ड दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम बोरई प.ह.नं. 03 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 1743 रकबा 0.470 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता मंजू कुमार पति डी.सी. कुमार के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 09.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.06.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका रत्ना दानी पति रवि दानी निवासी सांकेत कालोनी दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम बोरई प.ह.नं. 03 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 1136/2 रकबा 0.420 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता नितिन अग्रवाल पिता अशोक अग्रवाल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 09.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.06.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मुकेश्वर हरमुख पिता गोकुल प्रसाद निवासी कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि उनके माता के नाम पर ग्राम थनौद प.ह.नं. तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 739 रकबा 0.910 हे. भूमि शामिल खाता में दर्ज है। खातेदार/ सहखातेदार अनिता बाई की मृत्यु दिनांक 29.04.2021 होने से उनका नाम विलोपित कर वारिसान हक में मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 15.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.06.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका शोभा जैन पिता/पति उत्तमचंद जैन निवासी दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ग्राम अंजोरा प.ह.नं. 28 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 694/1, 695, 706, 707, 720/2 रकबा 0.2800, 0.3800, 0.2000, 0.3600, 0.0900 हे. भूमि का प्राप्त ऋण पुस्तिका गुम/ जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका बाबत् आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 09.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति/आक्षेप पेश कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.06.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-74/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक उत्तमचंद जैन पिता बंशीलाल निवासी गांधी चौक दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ग्राम अंजोरा प.ह.नं. 28 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 703, 704, 721/1, 722 रकबा 0.48, 0.38, 0.1200, 0.1300 हे. भूमि का प्राप्त ऋण पुस्तिका गुम/ जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका बाबत् आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 09.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति/आक्षेप पेश कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.06.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-20(3) वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 20210610380007

आवेदक खेमलाल साहू आ. शोभाराम साहू निवासी सिकोलाबस्ती दुर्ग की ओर से अधिवक्ता श्री सुनीत कुमार साहू द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग नजूल भूमि शीट क्रमांक 71 बी भूंखड क्र 1-2 क्षेत्रफल 491 वर्गमीटर भूमि धारक शोभाराम आ. पूनाराम साहू निवासी सिकोलाबस्ती दुर्ग के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। धारक की दिनांक 19.02.2014 को मृत्यु हो चुकी है मृत्यु प्रमाण पत्र सलग्न है। मृतक धारक का वारिसान उनकी पत्नि श्रीमती सवाना, गंगाबाई, पुत्री नीराबाई, निर्मला, लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मीनारायण, खेमलाल, संतोष कुमार है। इसके अलावा अन्य वारिसान नहीं है। आवेदक द्वारा उक्त प्रश्नाधीन भूखण्ड से मृतक धारक का नाम विलोपित कर उनके वारिसानों का नाम नजूल अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 09.07.2021 या इसके पुर्व इस न्यायालय में स्वतःया किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिसे भूखण्ड संबंधी जानकारी हो प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। इसके पश्चात् प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 21.06.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर — नजूल जांच अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-20(3) वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 20210610380008

आवेदक विपल कोठारी आ. पूनमचंद कोठारी निवासी वार्ड नं. 31 आपापुरा दुर्ग की ओर से अधिवक्ता श्री सुनीत कुमार साहू द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग नजूल भूमि शीट क्रमांक 29 डी भूंखड क्र 187/2 क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर भूमि धारक पूनमचंद आ. मानकलाल कोठारी निवासी सदर बाजार दुर्ग के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। धारक की दिनांक 17.02.2020 को मृत्यु हो चुकी है मृत्यु प्रमाण पत्र सलग्न है। मृतक धारक पूनमचंद कोठारी द्वारा अपने पुत्र विपल कोठारी के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 23.10.2018 को निष्पादित किया है। आवेदक द्वारा उक्त पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर प्रश्नाधीन भूखण्ड से मृतक धारक का नाम विलोपित कर स्वयं का नाम नजूल अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 09.07.2021 या इसके पुर्व इस न्यायालय में स्वतःया किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिसे भूखण्ड संबंधी जानकारी हो प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। इसके पश्चात् प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 21.06.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर — नजूल जांच अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

नाम-परिवर्तन

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं लक्ष्मी जगदाले (Laxmi Jagdale) पिता श्री तेजराम जगदाले (Tejram Jagdale) पता एमआईजी 569 विवेक विहार प्रगति मैदान के पास न्यू बोरसी दुर्ग तह. व जिला दुर्ग छ.ग. की हूं। पूर्व में मैं श्रीमती लक्ष्मी सोनी पति चंदन सोनी के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हू। मैने अपना नाम परिवर्तित कर लक्ष्मी जगदाले (Laxmi Jagdale) पिता श्री तेजराम जगदाले (Tejram Jagdale) रख ली हूं तथा इसी नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूं।

अतः मेरे समस्त शैक्षणिक, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय अभिलेखो/दस्तावेजों में मेरे परिवर्तित नाम लक्ष्मी जगदाले (Laxmi Jagdale) पिता श्री तेजराम जगदाले (Tejram Jagdale) से जाना, पहचाना व पुकारा एवं पढ़ा जावे।

स्थान- दुर्ग
दिनांक 03.07.21

लक्ष्मी जगदाले
(Laxmi Jagdale)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार धमधा जिला दुर्ग

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-21
ग्राम नंदवाय प.ह.न. 36

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री शैलेष शाह आ. स्व. अरविंद शाह साकिन 68/8 नेहरु नगर भिलाई प.ह.न. तहसील धमधा जिला दुर्ग ने ग्राम नंदवाय में स्थित शामिलात खाते की कृषि भूमि खसरा नंबर 144/2 रकबा 0.19 हे. भूमि स्वामी स्व. अरविंद शाह का दिनांक 20.05.2020 को मृत्यु हो गया है। जिसका फौती नामांतरण कराने बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

यदि जिस किसी व्यक्ति वाद भूमि का फौती नामांतरण कराने के संबंध में कोई आपत्ति दावा या उजर हो तो स्वयं इस न्यायालय में पेशी दिनांक 15.07.2021 को लिखित में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नही किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 01.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के सील मुहर से जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, धमधा जिला दुर्ग

स्वास्थ्य की अवधारणा व अर्थ के बारे में भले ही एक राय न हो. मगर स्वास्थ्य के महत्व को नकारा नहीं जा सकता. अक्सर हम स्वास्थ्य को नकारात्मक अर्थ में परिभाषित करते है. हमारा मानना रहता है, कि जो मेंटल एवं फिजिकल रूप से फिट इंसान को ही हेल्थ मान लेते है. मगर ऐसा नही है. सही अर्थो में स्वास्थ्य का अर्थ एवं व्यक्ति की क्रियाशीलता से है. जो तन मन से किसी कर्म में सतत लगा है, वही स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा. पहला सुख निरोगी काया तथा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है. यह कहावत काफी पुरानी एवं प्रचलित होने के साथ साथ शत प्रतिशत सही है. स्वास्थ्य सभी के लिए अनिवार्य व आवश्यक है. एक स्वस्थ व्यक्ति ही किसी भी प्रकार के कार्य को सुचारू रूप से कुशलतापूर्वक कर सकता हैं।

मनुष्य के जीवन का अमूल्य हिस्सा सेहत

कहीं भी बाहर से घर आने के बाद, किसी बाहरी वस्तु को हाथ लगाने के बाद, खाना बनाने से पहले, खाने से पहले, खाने के बाद और बाथरूम का उपयोग करने के बाद हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तब तो यह और भी जरूरी हो जाता है। उसे हाथ लगाने से पहले अपने हाथ अच्छे से जरूर धोएं। घर में सफाई पर खास ध्यान दें, विशेषकर रसोई तथा शौचालयों पर। पानी को कहीं भी इकट्ठा न होने दें। सिंक, वॉश बेसिन आदि जैसी जगहों पर नियमित रूप से सफाई करें तथा फिनाइल, फ्लोर क्लीनर आदि का उपयोग करती रहें। खाने की किसी भी वस्तु को खुला न छोड़ें। कच्चे और पके हुए खाने को अलग-अलग रखें। खाना पकाने तथा खाने के लिए उपयोग में आने वाले बर्तनों, फ्रिज, ओवन आदि को भी साफरखें। कभी भी गीले बर्तनों को रैक में नहीं रखें, न ही बिना सूखे डिब्बों आदि के ढक्कन लगाकर रखें।

कोई भी एक व्यायाम रोज जरूर करें। इसके लिए रोजाना कम से कम आधा घंटा दें और व्यायाम के तरीके बदलते रहें, जैसे कभी एयरोबिक्स करें तो कभी सिर्फतेज चलें। अगर किसी भी चीज के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे तो दफ्तर या घर की सीढ़ियां चढ़ने और तेज चलने का लक्ष्य रखें। कोशिश करें कि दफ्तर में भी आपको बहुत देर तक एक ही पोजीशन में न बैठा रहना पड़े। 45 की उम्र के बाद अपना रूटीन चेकअप करवाते रहें और यदि डॉक्टर आपको कोई औषधि देता है तो उसे नियमित लें। प्रकृति के करीब रहने का समय जरूर निकालें। बच्चों के साथ खेलें, अपने पालतू जानवर के साथ दौड़ें और परिवार के साथ हल्के-फुल्के मनोरंजन का भी समय निकालें। ताजी सब्जियों-फलों का प्रयोग करें। उपयोग में आने वाले मसाले, अनाजों तथा अन्य सामग्री का भंडारण भी सही तरीके से करें तथा एक्सपायरी डेट वाली वस्तुओं पर तारीख देखने का ध्यान रखें।

बहुत ज्यादा तेल, मसालों से बने, बैक्ड तथा गरिष्ठ भोजन का उपयोग न करें। खाने को सही तापमान पर पकाएं और ज्यादा पकाकर सब्जियों आदि के पौष्टिक तत्व नष्ट न करें। साथ ही ओवन का प्रयोग करते समय तापमान का खास ध्यान रखें। भोज्य पदार्थों को हमेशा ढंककर रखें और ताजा भोजन खाएं।

खाने में सलाद, दही, दूध, दलिया, हरी सब्जियों, साबुत दाल-अनाज आदि का प्रयोग अवश्य करें। कोशिश करें कि आपकी प्लेट में 'वैरायटी ऑफफूड' शामिल हो। खाना पकाने तथा पीने के लिए साफपानी का उपयोग करें। सब्जियों तथा फलों को अच्छी तरह धोकर प्रयोग में लाएं।

खाना पकाने के लिए अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑइल (जैसे सोयाबीन, सनफ्लॉवर, मक्का या ऑलिव ऑइल) के प्रयोग को प्राथमिकता दें। खाने में शकर तथा नमक दोनों की मात्रा का प्रयोग कम से कम करें। जंकफूड, सॉफ्ट ड्रिंक तथा आर्टिफिशियल शकर से बने ज्यूस आदि का उपयोग न करें। कोशिश करें कि रात का खाना आठ बजे तक हो और यह भोजन हल्का-फुल्का हो। अपने विश्राम करने या सोने के कमरे को साफसुथरा, हवादार और खुला-खुला रखें। चादरें, तकियों के गिलाफतथा पर्दों को बदलती रहें तथा मैट्रेस या गद्दों को भी समय-समय पर धूप दिखाकर झटकारें। मेडिटेशन, योगा या ध्यान का प्रयोग एकाग्रता बढ़ाने तथा तनाव से दूर रहने के लिए करें।

गुलाब-एलोवेरा जेल के फायदे

अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो गुलाब और एलोवेरा की मदद से बने इस जेल से काले घेरे की समस्या दूर हो जाएगी।

अगर आपकी स्कनि पर टैनगि है तो टैनगि का उपाय आपके घर पर मौजूद है, इस जेल को लगाएं, टैनगि खुद ही कुछ दनिों में दूर हो जाएगी।

गुलाब से बने जेल में एंटी-एजगि गुण होते हैं, इसे लगाने से आपके चेहरे पर झुर्रियां कम हो जाएंगी और त्वचा जवां दखिने लगेगी।

गुलाब-एलोवेरा जेल से सकिन में फ्रेशनेस महसूस होती है, आप इसे लगाकर सो जाएं और सुबह-सुबह आपको अपना चेहरा फ्रेश लगेगा।

अगर आपको अपनी स्कनि पर नैचुरल ग्लो चाहिए तो इस जेल को ट्राय करें, ताजी गुलाब की पंखुड़ियों से स्कनि शाइन करेगी और ग्लो आएगा।

गुलाब-एलोवेरा जेल में एलोवेरा मिलाने के फायदे

एलोवेरा में एंटी-इंफ्लामेटरी गुण होते हैं।

एलोवेरा जेल को इस जेल में मलिाने से आपको सनबर्न से राहत मलिेगी।

अगर आपकी स्कनि पर रैशेज की समस्या है तो इस जेल में मौजूद एलोवेरा से रैशेज की समस्या दूर हो जाएगी।

इस जेल में एलोवेरा मलिाने से अगर कटी या जली त्वचा है तो वो भी ठीक हो जाएगी।

एक्ने की समस्या है तो भी इस जेल में मौजूद एलोवेरा आपकी स्कनि को ठीक कर देगा।

source: newscrab

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

मानव तन जो हमें

मानव तन जो हमें मिला वह ,ईश का वरदान। नश्वर,क्षण-भंगुर काया पर,मत करें अभिमान। पाँव रखें पृथ्वी पर जब भी, भरें उच्च उड़ान। चलें साथ अपनों को लेकर,जग करे गुणगान।।1 भोली भाली जनता पर करते,देश में वे राज। मुफ्त सभी कुछ देने का जो,वादा करें आज। रोजगार दें और नहीं कुछ ,चाहिए निःशुल्क। संसाधन संपन्न बनेगा ,तभी अपना मुल्क।

- डॉ बिपिन पाण्डेय

मैं इक जंगल कुछ

मैं इक जंगल कुछ सुनसान कुछ बियावान न पखेरू,न इंसान बसते यहाँ कुछ शैतान उल्लुओ की बोली,झिंगुरो की तान कल-कल करते झरने, और सर सर करती हंवाये उस पे ये बहता पानी बस इन्ही सब में गुजरती मेरी जिंदगानी।

- शत्रुंजय तिवारी

खास पाती

ख़ामोशी का मतलब पत्थर

ख़ामोशी का मतलब पत्थर होना नही है जहां आपकी आवाज़ टकराकर अनुगूँज की प्रतिध्वनियों के रूप में वापस लौट आती है बेरुखी भरी निरुत्तरता संग गहन ख़ामोशी विचलित कर जाती है भीतर तक हिला देती है और फिर रुला देती है मगर मौन टूटता नही इसका मतलब कदाचित यह नही कि मौन बुरा है यह तपस्या है / साधना है बेहद सच्ची आराधना है ! जो हर किसी के बस नही होता और मन है कि एक अदद जिद्द को नही खोता ! ख़ामोशी का जवाब बेहद साफहै ! उदारता इतनी कि हर बचकाना ख़ता माफहै ! कोई प्रतीकार नही,,,, ये मौनता का इंसाफहै।

- राजचुन्नी शर्मा

अश्कों से होकर के वो तर-बतर

अश्कों से होकर के वो तर-बतर रो दिया, पकड़ के नब्ज़ मेरी मेरा चारागर रो दिया, बूंद भर तृष्णगी से हलाकान हुए बैठे हो, हमारी प्यास से उलझ के समुंदर रो दिया, मैंने रसमन ही पूछा ये दर्द और कब तक, इतनी सी बात पर हमारा मुकद्दर रो दिया, कभी साज़िशन देश निकाला दिया हमें, मैं लौटा तो गले लग सारा शहर रो दिया, एक दिन यूँ ही खुद के पास जा बैठे हम, भीतर रोया इक शख्स इक बाहर रो दिया। - अनिल अनमोल शर्मा

कितना मुश्किल होता है इंसानों का

कितना मुश्किल होता है इंसानों का इंसान बनकर जीना भावों के समंदर को हृदय धरातल पर ढोना सृजन की माटी में बोते हुए संवेदनाएँ उस देवता के हाथ भी ज़रूर कांपे होंगे तड़पा होगा वह भी न जाने कितनी ही रातें चाह कर भी ज़हन से निकला न होगा वो ख्याल कि वक्त की शाख के सूख जाने के बाद भी जज़्बातों की खुशबू दम नहीं तोड़ती।

- डिम्पल गौड़

सीख लेना तुम सदा ही हार

सीख लेना तुम सदा ही हार से जिंदगी चलती नहीं व्यापार से सी जखम सब दौड़ते जो होड़ में क्यूँ दिखाई दे रहे लाचार से हर खुशी गमगीन होकर ही मिटी इश्क़ ने धोखा दिया यूँ प्यार से हैं किसी की कुर्बतें खोई खुशी यों नहीं वे गुल हुए हैं खार-से है अहम इस जीस्त का हर पल सुनो औ बुलाती मौत भी उस पार से हो अगर कस्ती ही टूटी जब भला पार पाएगा कहाँ पतवार से फलसफा ये खत्म होता ही नहीं रूबरू कर जिंदगी के सार से।

- सृष्टि सिंह

जीवन में भी आती रहतीं धूप-छांव

जीवन में भी आती रहतीं धूप-छांव सरीखी सुख और दुख की बदलियां जो कभी बरसती तो कभी बिन बरसे तरसा जाती उमस भरी घुटन बारिश की बून्द को तरसता मन बहुत कुछ सिखा जाता है बशर्ते, वह सबक याद रखें हम हर दिन जो हमको सिखाता है ।

- सुश्री इंदु सिंह

आज मैं खुद को समेटने

आज मैं खुद को समेटने लगी हूँ ोड़-जोड़ घरौंदा बनाने लगी हूँ इतिहास को इतिहास ही रहने दो मैंने नए आकाश तराशने के लिए एक नयी औरत को आमंत्रण दिया है।

- अनिता कपूर

मुश्किलें आती है, आएंगी, पर

मुश्किलें आती है, आएंगी, पर घबराना नहीं, काम ऐसा करो फिर बाद में पछताना नहीं। ये जो दुनिया हैं मिलेंगे बहुत से तीस मारखां, तन्हा ही लड़ सकते हो इनसे डर जाना नहीं।

- संजय सिंह राजपूत

QUIZ TIME

1) नंदराज पहाड़ी कहाँ स्थित है?
2) ईब नदी का उद्गम स्थान कहाँ है?
3) शाकम्भरी योजना कब प्रारंभ हुआ था?
4) छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल का गठन कब किया गया?
5) 23 मार्च 1922 में रायपुर में आयोजित जिला राजनीतिक सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक को मुफ्त प्रवेश पत्र देने से इंकार करने पर पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया था?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) दंतेवाड़ा (2) कुरजा पहाड़ी (3) 2005-06 (4) 18 जनवरी, 2002 (5) पं. रविशंकर शुक्ल

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1776: अमेरिका के 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया नगर में देश की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये। इस दिन को अमेरिका की आजादी के तौर पर जाना जाता है। 1782: चार्ल्स वाटसन-वेंटवर्थ की मृत्यु के बाद विलियम पैटी ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बने। 1789: ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा और निजाम के साथ टीपू सुल्तान के खिलाफसंधि की।1819: विलियम हर्शल 1819 धूमकेतु के अंतिम दूरबीन का अवलोकन किया। 1829: जॉर्ज शिलबियर द्वारा लंदन में पहली बस सेवा का संचालन शुरू किया गया। 1848: फ़्रांसीसी शायर फ्रांसवा शाटोब्रेयां का निधन हुआ। 1865: मशहूर अंग्रेजी उपन्यास एलिस इन वंडरलैंड का प्रकाशन। 1879: एंग्लो-जुलु युद्ध; यह युद्ध में ब्रिटिश विजय के साथ समाप्त हुआ। 1882: टेलीग्राफ हिल वेधशाला सैन फ्रांसिस्को में खोली गयी। 1883: दुनिया का पहला रोडियो पेक्स टेक्सास में आयोजित किया गया। 1886: कनाडा की पहली अंतरमहाद्वीपीय ट्रेन कोलंबिया के पोर्ट मूडी पहुंची। 1900: विलियम्स जेनिंग्स ब्रायन अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामांकित। 1901: विलियम हावर्ड टैफ्ट फिलीपींस के गवर्नर-जनरल बने। 1914: बर्दुन का युद्ध समाप्त हुआ। 1928: एलेफ्थेरिओस वेणिजेलोस पांचवी बार ग्रीस के प्रधानमंत्री बने। 1947: ब्रिटिश संसद के समक्ष भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके तहत देश का भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ।

न्यूज गैलरी

आउटरीच कार्यक्रम के तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खरोरा की टीम पहुची खनिज निगम अध्यक्ष के घर

खरोरा (नव प्रदेश)। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खरोरा के करोना योद्धाओं की टीम कोविड 19 के सर्वे कार्य हेतु नगर पंचायत खरोरा के वार्ड क्रमांक 04 में निकली जिसमे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन जी के निवास में पहुचकर उनसे पूछ्कर उनके यहां का सर्वे कार्य पूरा किया गया । इस अवसर पर ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष सौरभ मिश्रा, करोना योद्धा रूपेश मनहरे, मंडल दास गिलहरे, किरण ठाकुर, धनेशराम वर्मा, बलराम नशीने, शशांक शेखर चंद्राकर, राजू गायकवाड़, अजय सोनवांनी आदि काँग्रेस कार्यकर्तागण उपस्तिथ थे।

पंचायत ऑडिट मनरेगा की तरह होना चाहिए

खरोरा (नव प्रदेश)। केंद्र सरकार के महत्वाकॉक्षी योजना मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों मे विकास कार्य कराया जाता है। विकास कार्य करोड़ों रुपये मे होती है। ग्राम पंचायतों मे मनरेगा का कार्य सार्वजनिक रुप से उसी ग्राम के मजदूरों द्वारा किया जाता है। मनरेगा कार्य के चलते ही सूचना बोर्ड बनाया जाता है जिसमें उक्त मनरेगा कार्य का संपूर्ण जानकारी लिखी होती है ,जिससे कार्य कर रहे श्रमिक व ग्राम के अन्य लोगो को उस कार्य की पूरी जानकारी कार्य स्थल मे ही हो जाती है। मनरेगा के सभी कार्यों की पूरी जानकारी मजदूरों को होने के बावजूद केंद्र सरकार ग्राम सभा की आयोजन कर सामाजिक अंकेक्षण कराते हैं जिससे पुनःउस मजदूरों को कार्य की सारी जानकारी हो जाती है। उसी तरह पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के भी लाखों करोड़ों रुपयों मे ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा विकास कार्य कराया जाता है ,परंतु सरपंच द्वारा कराये गये लाखों रुपयों के कार्यो की ऑडिट बंद कमरे मे होती है ,ऑडिट मे सरपंच,सचिव व ऑडिटर तीनों बैठ कर ऑडिट कर लेते हैं। ग्राम पंचायत मे ग्रामिणों के लिये हुए विकास कार्यों की खर्च राशि जानने का हक ग्रामीणजन को क्यों नही है ? राज्य शासन की ओर से निर्मित भवनों मे ग्रामिणों की जानकारी के लिये केवल स्वीकृत राशि,भवन का नाम व अन्य सामान्य जानकारी लिख दिये जाते हैं। यह जानकारी ग्रामिणों के लिये अपूर्ण जानकारी है। ग्राम मे हुए विकास कार्यों की ऑडिट मनरेगा की तरह होना चाहिए , विशेष ग्राम सभा के तहत पंचायत के विकास कार्यों की ऑडिट होना चाहिए ,जिससे ग्रामिणों को ग्राम मे हुए विकास कार्यों की खर्च की बारीक जानकारी होगा। तभी हमर पंचायत - हमर विकास ÷सार्थक सिद्ध होगा।

बंगोली मे रोका-छेका प्रथा चालू

खरोरा (नव प्रदेश)। ग्राम बंगोली सहित क्षेत्र के ग्राम कुर्रा,बरौंडा,धनसुली,मूरा आदि के कृषकों द्वारा धान बुआई करने के बाद ग्रामिण किसान पालतू व लावारिश आवारा मवेशियों को एकत्रित करके ग्राम के राऊत चरवाहा द्वारा सभी को एकत्रित कर ग्राम के दैहान मे रखते हैं। जिसे ग्रामीणजन रोका छेका कहते है। इससे धान की फसल की सुरक्षा होती है।

मोबाइल चोरी करने के आरोप में पुलिस तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया

ख़रोरा (नव प्रदेश)। नया बस स्टैंड के पास ख़रोरा निवासी पीयूष अग्रवाल का मोबाइल फ़ोन अज्ञात आरोपी द्वारा चुरा लिया गया था, प्रार्थी की सूचना पर अपराध पंजिबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। मामले में आरोपियों की सघन पतासाजी कर चोरी में संलिप्त एक अपचारी बालक सहित तीन आरोपियों को पकड़ा गया है जिनके पास से चोरी गया गया वीवो कम्पनी का मोबाइल क़ीमती लगभग 12000/- व आरोपियों द्वारा प्रयुक्त पल्सर मोटरसायकल बरामद किया गया है। आरोपियों के पास से 3 नग मोबाइल और बरामद हुए हैं जिन्हें अन्य थाना क्षेत्रों से चोरी करना आरोपियों द्वारा बताया गया है। आरोपी 1. ईश्वर साहू पिता ऐराम साहू आयु 19 वर्ष निवासी रावाभाठा रायपुर 2. सत्यम बैरागी पिता रविदास बैरागी आयु 19 वर्ष निवासी रावाभाठा रायपुर व 3. सांकरा धरसीवाँ निवासी 17 वर्षीय बालक को विधिवत गिरफ़्तार किया गया है जिन्हें आज न्यायालय पेश किया जा रहा है।

सेवानिवृत्त विद्युतकर्मी ने शिशु मंदिर परिसर में किया वृक्षारोपण

अर्जुनी (नव प्रदेश)। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के सेवानिवृत्त वरिष्ठ लाइनमेन अशोक वैष्णव द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिये सरस्वती शिशु मंदिर अर्जुजी परिसर में बरगद का पेड़ लगाया गया वंही उनके द्वारा लगातार गांव के अन्य स्थानों पर भी पौधा रोपने की बात कही वृक्षारोपण में विद्यालय के आचार्य पुरुषोत्तम लाल वर्मा व विद्यालय के प्राचार्य रमेश शर्मा भी उपस्थित रहे।

जिले में औसत वर्षा 265 मि.मी. दर्ज

गरियाबंद (नव प्रदेश)। गरियाबंद जिले में चालू मानसून सत्र में गत 01 जून से 02 जुलाई 2021 तक औसत वर्षा 265.1 मि.मी. दर्ज की गई है, जो आज तक की वर्षा का औसत वर्षा से 123.4 प्रतिशत है। भू-अभिलेख शाखा गरियाबंद से प्राप्त जानकारी के अनुसार 02 जुलाई की स्थिति में सर्वाधिक वर्षा राजिम तहसील में 345.8 मि.मी. तथा सबसे कम मैनपुर तहसील में 205.3 मि.मी वर्षा दर्ज की गई है।

मवेशियों का सड़कों पर जमावड़ा, रोका- छेका अभियान पूर्णतः फेल

राज्य सरकार का रोका छेका अभियान महज कागजी

नव प्रदेश संवाददाता

अर्जुनी। बलौदाबाजार जिले के ग्राम पंचायत अर्जुनी, रवान, भद्रापाली ,पौसरी, करमदा भरसेली ,कुकुरदी ग्रामीण अंचल में छत्तीसगढ़ शासन ने गोधन न्याय योजना के तहत जब रोका छेका अभियान शुरू किया तो बड़े जोर-शोर से इस योजना के प्रचार-प्रसार में लोखों रूपये खर्च किए गये। सरकार ने इसे शुरू करने से पहले अनगिनत फायदे बताये थे, जो अब फ्लाप साबित होते दिख रहे है। ऐसा ही एक नजारा ग्राम पंचायत में दिख रहा है। यहाँ रोका-छेका अभियान पूरी तरह फ्लाप दिख रहा है। गाव के प्रमुख चौक-चौराहों, सहित सभी जगह पर आवारा मवेशी खुलेआम घुम रहे है, और लोग इससे दुर्घटना का कारण बन रहे है। वही, ग्रामीण अंचल में हालात यह है, कि गौठान सुनसान पड़े है और पशु पालक अपने जानवरों को खुले में चरने के लिए भेज रहे है। क्षेत्र में कई स्थानों पर लाखों रूपये खर्चकर गौठान बनाए गए है लेकिन इन गौठानों में न तो चारा की व्यवस्था है और न ही मवेशियों के लिए पानी की व्यवस्था है। सड़क दुर्घटना में मवेशी दुर्घटना के शिकार हो जाते है। उलेखनीय हैं कि कांग्रेस सरकार की रोका छेका योजना में ग्राम पंचायत अर्जुनी भद्रापाली पौसरी करमदा भरसेली कुकुरदी रवान धंवई बोरसी रूचि लेते नहीं दिख रही है। कांग्रेस सरकार की यह महत्वकांक्षी योजना भी फ्लाप साबित होते दिख रही है। रवान में आज भी मुख्य मार्ग पर मवेशी सड़कों पर डेरा डाले हुए है। कुकूरदी बाई पास के मेन रोड के पास मवेशी एक सीध रोड़ को घेरकर खड़े हुए दिखाई दिए। इससे कभी भी दुर्घटना घट सकती है, और कहीं-कहीं पर मवेशी दुर्घटना के शिकार भी हो रहे है। यह मवेशी कुकुरदी भरसेली के मुख्य चौराहों पर अपना कब्जा जमाए हुए बैठे रहते है। इन मवेशियों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। वही दूसरी ओर गांव-गांव में सरकार द्वारा गौठान बनाए गए है, किन्तु अधिकतर ग्राम पंचायतों में मवेशियों को रोका नहीं जा रहा है। जिन गांवों में गौठन बन भी गए है, वहाँ चारा एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तथा चरवाहे की नियुक्ति भी नहीं की गई है। इससे भी समस्या बनी हुई है।

मवेशी मालिक गाय, बैल, भैंस को खुला छोड़ दिए है, जिससे किसानों की खेती को नुकसान पहुंचा रहे है। ग्रामीण अंचल में खेतों में धान बोवाई का काम चल रहा है।

महिलाओं ने थामा जोगी कांग्रेस का हाथ- सुनील

नव प्रदेश संवाददाता

कवर्धा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) कबीरधाम का जिला स्तरीय बैठक का आयोजन जिला मुख्यालय कवर्धा में किया गया जिसमें मुख्य रूप से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के राजनांदगांव लोकसभा प्रभारी श्री जय प्रकाश लोधी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री धीरज सिंह, अजित जोगी छात्र मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष रवि चंद्रवंशी उपस्थित हुए ।जनता कांग्रेस कबीरधाम के जिला अध्यक्ष सुनिल केशरवानी ने कार्यकर्त्ताओं को सम्बोधित करते हुए आगामी कार्यक्रमो के सम्बंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओ में उत्साह का संचार किया साथ ही भविष्य में पार्टी के कार्यक्रम के सम्बंध में जानकारी दी,पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए रणनीति तैयार की गई, जिला अध्यक्ष में पार्टी और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी कार्यकर्तओं को सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही कार्यकर्ताओं को लोकसभा प्रभारी जय प्रकाश लोधी जी ने सम्बोधित करते हुए प्रदेश की भूपेश सरकार की वादा खिलाफी को घर घर पहुचाने के लिए आह्वाहन किया साथ ही जनता को आगामी विधान सभा चुनाव में प्रदेश में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सरकार बनाने के लिए संकल्पित किया। वही प्रदेश उपाध्यक्ष धीरज सिंह जी ने पार्टी को मजबूत करने का निर्देश देतें हुए प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी की बात कही और अजित जोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि चंद्रवंशी ने भी सभा को संबोधित करते हुए सदस्यों का उत्सावर्धन करते हुए पार्टी को आगे ले जाने की बात कही। श्री केशरवानी ने बताया कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे कबीरधाम में अभी तो महिलाओं ने हाथ थामा है।

दसवें एसपी के रूप में सदानंद कुमार ने लिया चार्ज

नव प्रदेश संवाददाता

बालोद। शनिवार को बालोद जिले के दसवें एसपी के रूप में आईपीएस सदानंद कुमार ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सब मिलकर काम करेंगे और जिले में पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त रखेंगे।सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा तो देंगे ही साथ ही अपराधों की रोकथाम में भी प्रमुखता से काम होगा। उन्होंने कहा कि वे नारायणपुर जिले से आए हुए हैं। जहां पर वे 16 वी वाहनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सेनानी में कमांडेंट थे। वहां के अनुभव से बालोद में भी नक्सली गतिविधियों पर पूरी नजर रखेंगे व प्रभावित क्षेत्रों में मुस्तैदी जारी रहेगी।बालोद शहर में यातायात की बढ़ती समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर खास तौर से ध्यान देंगे। मीडिया द्वारा बात सामने रखी गई कि रात में बालोद दल्ली दुर्ग रोड पर आयरन ओर से भरी गाड़ियां लगातार तेज रफ्तार से दौड़ती है। इन ट्रकों के कारण कई हादसों में लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। इस पर एसपी ने इसे गंभीरता से लेने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने चिटफंड कंपनियों पर भी नकेल कसने व जितने भी मामले दर्ज हैं उन पर लंबित मामलों पर जल्द से जल्द कार्यवाही, आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही। इस दौरान एएसपी डीआर पोर्ते, सीएसपी अलील खान सहित अन्य मौजूद रहे। बालोद जिले के 9वे एसपी रहे जितेंद्र मीणा को बस्तर का एसपी बनाया गया है।

महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने प्रशिक्षण केद्र का शुभारंभ

डोंगरगढ़ (नव प्रदेश)। जिला पंचायत सदस्य व इंदिरा शक्ति संगठन की संयोजक प्रभा सहु निरंतर विगत 10 सालो से लगातार महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने व स्वरोजगार से जोडने के लिए कई प्रकार की प्रशिक्षण आयोजित कर उन्हें प्रशिक्षित कर रही है एंव महिलाओ का संगठित कर रोजगाार देने व उनकी आर्थिक स्थिती को सुधारने के लिए जनसेवा का कार्य रह रही है इसी कडी में डोंगरगढ विकासखंड के ग्राम पंचातय चिद्दो में सिलाई प्रशिक्षण केद्र की शुरूवात कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। जिसमें जन शिक्षण संस्थान राजनांदगांद के द्वारा सलवार सुट, पेटिकोट डिजाइनर, फ्रॉक, कुर्ती, ब्लाउज डिजाइनर , कढाई व महिला के उपयोग संबधित कपडे की बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

नींव को मजबूती देने भाजपा ने शहर भाजयुमो कार्यकारिणी घोषित की

युवाओं को किया शामिल, घर-घर जाकर गिनायेंगे कांग्रेस की नाकामी

नव प्रदेश संवाददाता

बालोद। भाजपा लगातार प्रदेश में अपनी पैठ बिठाने के लिए अपनी नीव ग्रामीण अंचलों सहित शहरी इलाकों में मजबूत कर रही है। जिसके लिए खास तौर पर युवाओं को जोड़ा जा रहा है जो कि कांग्रेस शासन काल की कमियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य अभी से ही शुरू कर देंगे। जिसके लिए आज युवाओं के आदर्श भगत सिंह चैक पर शहर युवा मोर्चा अध्यक्ष कमलेश वाधवानी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर के टीम की घोषणा की। लगातार एक अलग अंदाज से शहर में भाजपा के प्रति वातावरण बने इसी उद्देश्य को लेकर घोषणाओं को अलग अलग अंदाज में किया जा रहा है।

घोषणा पश्चात प्रदेश मंत्री भाजपा राकेश यादव ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि युवा पार्टी की रीढ़ होता है युवा मजबूत रहेंगे तो पार्टी मजबूत रहेगी। युवाओं से पार्टी को आशाएं हैं। भाजपा को पूरा विश्वास है कि नवनियुक्त युवा इन आशाओं पर खरे उतरेंगे। वहीं शहर मंडल के अध्यक्ष सुरेश निर्मलकर ने कहा कि निश्चित रूप से इस बालोद शहर में भाजपा एक नया आयाम स्थापित करेगी। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सब मिलकर इस बालोद शहर में भाजपा का जनाधार मजबूत करेंगे ऐसा संकल्प आज लेते हैं।

युवा मोर्चा के अध्यक्ष कमलेश वाधवानी ने कहा कि हमने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए अपनी टीम की घोषणा भी की है। उन्होंने सभी नव नियुक्त युवाओं को शुभकामनाए दी और कहा सब मिलकर बालोद शहर में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करने के लिए काम करेंगे।

समझ से परे अफसरों की कार्यप्रणाली

कई गाड़ियां अवैध परिवहन करते हुए हो गई फरार

नव प्रदेश संवाददाता

बालोद। जिले में भरपूर मात्रा में खनिज सम्पदा है जिसके चलते दिनोदिन खनिज माफिया जिले में पनपते जा रहे है। सुस्त खनिज अफसरों के कारण माफियाओं को सह मिलती जा रही है। ताजा मामला पिकरीपार गांव में तब देखने को मिला जब शासकीय जगह से धड़ल्ले से मुरम निकाला जा रहा था। चैन माउंटेन के जरिये खुदाई कर आधा दर्जन से अधिक हाइवा गाड़ी से अमर बिल्डर कम्पनी द्वारा परिवहन किया जा रहा था। जिसकी जानकारी खनिज विभाग के जिम्मेदारों को दे दी गई लेकिन। लेकिन 3 घण्टे बाद खनिज इंस्पेक्टर व उनकी टीम मौके पर पहुँची। तब तक केवल एक चैन माउंटेन व एक हाइवा ही मिली। पिकरीपार में खनिज विभाग की ओर से किये गये कार्यवाही को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि जानकारी सही समय पर मिलने के बाद विभाग के जिम्मेदारों द्वारा लेटलतीफी की गई जिसके चलते आधा दर्जन हाईवा में से केवल 1 ही हाईवा को विभाग ने पकड़ा। कहीं विभागीय जिम्मेदार माफिया को बचाने के लिए देर तो नहीं की? क्या विभाग के जिम्मेदारो की ओर से मुरम खनन करने वाले को सूचना पहले दे दी गई ताकि वह भाग सके। आपको बता दें कि अमर बिल्डर कंपनी द्वारा गुण्डरदेही ब्लॉक में सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। बारिश के चलते कई रास्तों को आवाजाही के लिए बनाने हेतु मुरम की बेहद आवश्यकता है। लेकिन कंपनी द्वारा पंचायत सरपंच से मिली भगत करके अवैध रूप से शासकीय जमीन से मुरम निकाला जा रहा था। जिसके लिए खनिज विभाग की ओर से किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी। मिली जानकारी के अनुसार सुरज उगते ही कंपनी द्वारा चैन माउंटेन और दर्जनों हाईवा को अवैध काम में लगा दिया था। मिली जानकारी के अनुसार अमर बिल्डर नामक कंपनी द्वारा सड़क निर्माण के लिए उपयोग में लाये जाने वाले आधे से ज्यादा मुरम अवैध रूप से खोदकर उपयोग में लाये जाते हैं।

वर्तमान में इस कंपनी द्वारा बालोद जिले के करहीभदर, मोखा, निपानी, बटरेल होते हुए जामगांव पहुंच मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। उक्त सड़क निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत एडीबी प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा रहा है।

पैसा एजेंट ने खाया, थानेदार नहीं लिख रहे रिपोर्ट

नव प्रदेश संवाददाता

खरोरा। देवरी में रहने वाले 19 वर्षीय रवि यादव की उसी के गांव के तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई, वही शाशन की ओर से मृतक के परिवार को 4 लाख रुपये की राशि मिली , वही महिला ने बताया की कोई टंडवा का रहने वाला एजेंट उसके पास आया था उसने महिला से सत्तर हजार रुपये की मांग की और कहा पैसे नही देने पर आपका बाकी पैसा भी खाते से गायब हो जाएगा वही महिला अशिक्षित है उसने खाते से सत्तर हजार रुपये निकालकर एजेंट को दे दिए, वही महिला ने चालीस हजार रुपये अपने निजी खर्च के लिए निकाले वही महिला के खाते में दो लाख 90 हजार रुपये बचने चाहिए लेकिन अब महिला के खाते में एक भी रुपये नही है, तब महिला को एजेंट के ऊपर शक हुआ उस महिला ने शिकायत ने धरसींवा थाने में की लेकिन वहाँ महिला की रिपोर्ट दर्ज नही की गई , महिला ने बताया कि पुलिस वालों ने कहा कि यह धोखाधड़ी 420 का मामला है एस पी साहब के बिना निर्देश के मामला पंजीबद्ध नही कर सकते है और क्योंकि आपका खाता स्टेट बैंक तिल्दा में है तो आप जाकर तिल्दा में रिपोर्ट लिखाये कहकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया , वही पीड़ित महिला ने बताया कि उन्होंने 27/06/2021 को तिल्दा थाने में आवेदन दिया है लेकिन वह भी धरसींवा थाने में शिकायत करने को कह रहे थे। एजेंट ने जब महिला के साथ धोखाधड़ी करी तो धरसींवा थानेदार ने जांच कर महिला की रिपोर्ट क्यों नही लिखी। पुलिस का पहला काम है किसी भी अपराध में एफआई आर करना , क्योंकि जल्दी से लोग पुलिस के खिलाफशिकायत नही करते इसलिए पुलिस अपने आपको ही राजा और अपने आपको ही मंत्री मानने लगी है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं अगर अपराध हुआ है और उसमें पुलिस एफआईआर दर्ज नही करती तो आप न्यायालय की शरण ले सकते है और जिस थाने में एफआईआर दर्ज नही की गई उस थाने के थानेदार के खिलाफशिकायत कर सकते है, जिसमे थानेदार के ऊपर धारा 167 व 167(ए) के तहत मामला दर्ज होगा और मामला सही पाए जाने पर 1 साल तक की जेल भी होगी।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा
पंजी. 202106100400433
एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका फरीदा बेगम पति समीर अहमद निवासी वार्ड 37 दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम कसारीडीह प.ह.न. 56 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 49/9 रकबा 0.008 हें/ 800 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।
अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।
मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा
रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका बिशाखा यादव वगै. पति स्व. अर्जुन यादव निवासी ग्राम पचरीपारा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1282/43 रकबा 0.0020 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार अर्जुन यादव आ. चैतराम की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 15.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 28.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।
मुहर
तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा
रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका वीणा दुबे पति स्व. अखिल दुबे निवासी ग्राम कादम्बरी नगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1314/430 रकबा 0.1540 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार अखिल दुबे आ. हरिशंकर की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 15.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 28.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।
मुहर
तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा
रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका कल्पना पाण्डेय वगै. पति स्व. सरजूप्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 249/44, 249/51 रकबा 0.014, 0.007 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार सरजू प्रसाद शुक्ला की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 13.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 28.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।
मुहर
तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा
पंजी. 202106100400547
एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री यू एन पाठक आ. स्व. जगदम्बा पाठक निवासी धनोरा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 680/47 रकबा 0.070 हें/ 778 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।
अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
यह उद्घोषणा आज दिनांक 30.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।
मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा
पंजी. 202106100400096
एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सुमन देवी पति श्री मुकेश सिंह निवासी उमरपोटी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 360/7 रकबा 0.014 हें/ 1500 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।
अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
यह उद्घोषणा आज दिनांक 05.04.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।
मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा
पंजी. 202107100400011
एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका उत्तराबाई पति अंगद सिंह निवासी सेक्टर 08 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 601/51 रकबा 0.011 हें/ 1290 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।
अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
यह उद्घोषणा आज दिनांक 01.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।
मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा
पंजी. 202106100400510
एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका अरुणा साहू पति हरिश कुमार साहू निवासी शांतिनगर सुपेला द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 52/48 रकबा 0.022 हें/ 2400 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।
अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
यह उद्घोषणा आज दिनांक 29.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।
मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा
पंजी. 202106100400499
एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री सुखैन कुमार ठाकुर आ. दीनुराम ठाकुर निवासी खुटेरी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 52/3 रकबा 0.012 हें/ 1300 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।
अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
यह उद्घोषणा आज दिनांक 29.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।
मुहर
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

नव प्रदेश | कवर्धा/बेमेतरा/भाटापारा | रायपुर, रविवार, 4 जुलाई 2021 | 6

मनरेगा के लंबित भुगतानों के निराकरण के लिए प्रभारी मंत्री सिंहदेव से प्रज्ञा निर्वाणी की मुलाकात

■ **47 लाख के ग्रीन कॉरिडोर पर काम प्रारम्भ नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने प्रज्ञा निर्वाणी का आग्रह**

■ **टीएस सिंहदेव ने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ हरित अभियान के तहत ग्रामीण अंचलों में पौधारोपण के लिए गंभीर प्रयास कर रही है**

नव प्रदेश संवाददाता

बेमेतरा। जिले के प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ शासन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भी मंत्री है, जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी ने मुलाकात कर बेमेतरा के प्रभारी मंत्री बनने पर बधाई देते हुए जिले भर के विभिन्न पंचायतों में मनरेगा के लंबित भुगतानों को मनरेगा श्रमिकों के अकॉउंट में भेजने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की। प्रज्ञा निर्वाणी ने बताया कि कुछ पंचायतों में मनरेगा के कार्य के 3 साल से अधिक समय हो जाने के बाद भी भुगतान श्रमिकों को नहीं हुआ है, वहीं कई मामलों में भुगतान राशि बैंक और पोस्ट आफिस में आ जाने के बावजूद अधिकारी कर्मचारी न जाने क्यों भुगतान नहीं करते, उन्होंने मूल्यांकन के

पश्चात कम राशि दिए जाने पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। प्रज्ञा निर्वाणी ने कहा कि भोइनाभाटा से बाबा मोहतरा, नवागांव, खुड़मुड़ी, पेंड्री, आनंदु घटोली, बिरमपुर से तुमा झिरिया तक उन्होंने रोड साइड प्लांटेशन के लिए 47 लाख की मंजूरी कराई जो 9 महीने से स्वीकृत हो गया परंतु पिछले 9 महीनो से उस कार्य को प्रारम्भ नहीं किया गया है, मनरेगा से संबंधित अधिकारियों से कई बार इस विषय को लेकर चर्चा की गईं हैं। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ हरित अभियान के तहत ग्रामीण अंचलों में पौधारोपण के लिए गंभीर प्रयास कर रही है, इसके लिए किसानों को उनके बाड़ी और खेतों में फलदार छायादार और औषधीय पौधों के निःशुल्क वितरण भी कर रही है, सड़कों के किनारे छायादार पौधा रोपण के लिए प्रस्ताव स्वीकृत कराने पर जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी की प्रसंशा करते हुए शीघ्र ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का आस्वासन दिया। इस मुलाकात के दौरान किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉ सौरभ निर्वाणी ने प्रभारी मंत्री सिंह देव को फूलों का गुलदस्ता देते हुए शीघ्र ही बेमेतरा आने का आग्रह किया।

ग्रामीणों की मांग पर डोढ़की में बदला गया टांसफार्मर

डोंगरगढ़ (नव प्रदेश)। विधायक व अनु. जाति विकास प्राधीकरण अध्यक्ष भूनेश्वर बघेल के निर्देश पर विधुत विभाग द्वारा ग्राम डोढकी में ग्रामीणो की लो वोल्टेज की समस्या को दुर करने की दृष्टि से नया टांसफार्मर लगाया गया है । ज्ञात हो कि विगत दिनों विधायक श्री बघेल अपने दौरे के तहत ग्राम डोढकी पहुचे थे जहा ग्रामीण ने विधायक से मुलाकात कर उन्हे लो वोल्टेज व टांसफार्मर की खराबी की समस्या से अवगत कराया जिस पर विधायक ने ग्रामीणो को आश्वस्त किया कि जल्द ही ग्राम की उक्त समस्या दुर की जाएगी। इसी कडी में ब्लांक कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण सुरेश सिन्हा द्वारा सहायक अभियंता उपसंभाग विधुत विभाग डोंगरगढ को आवेदन दिया गया और दो दिन के अंदर विभाग द्वारा ग्राम डोढकी में नया टांसफामर लगाया गया जिससे ग्रामवासियों ने विधायक श्री बघेल व जिला पंचायत सदस्य पुष्पा गोकरण वर्मा व ब्लांक अध्यक्ष सुरेश वर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया है।

बैंक का कर्ज पटाने विवाद के चलते पति ने पत्नि की कर दी हत्या

डोंगरगढ़ (नव प्रदेश)। नगर के अटल आवास में कर्जा पटाने के चलते विवाद कर पति द्वारा पत्नि को मौत के घाट उतार देने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबित रेल्वे कालोनी निवासी निर्मला बाई पति स्व. सेवाराम बलेंद्र द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी गई कि आकाश रंगारी पिता स्व. किशोर रंगारी निवासी अटल निवास उम्र 29 वर्ष द्वारा फोन कर बताया कि लोकेश्वरी रंगारी का सीने में दर्द होने से मृत्यु हो गई। निर्मला जब आकाश के घर पहुच मृतिका के ढके कपड़ो को हटाकर देखी तो उसके गले में निशान बना हुआ था आकाश रंगारी को निशान के बारे में पुछने पर पत्नि लोकेश्वरी रंगारी फांसी लगा लिया था अकेला उतारू हु तो गिर गया। जिस पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतिका नवविवाहित होने व मृत्यु संदेहास्पद होने पर पुलिस उच्च अधिकारीयों के मार्गदर्शन में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए व मृतिका नवविवाहित होने से शव का पंचनामा कार्यवाही कर पीएम कराया गया।

समीक्षा | **वन विभाग एवं खाद्य विभाग के कार्यों पर भी हुई चर्चा**

पंचायत विकास योजना से वर्ष 2021-22 में होने वाले कार्य का हुआ अनुमोदन

■ **वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए राशि 3 लाख 57 हजार रुपए के पृथक - पृथक प्रस्ताव का हुआ अनुमोदन**

नव प्रदेश संवाददाता

कवर्धा। जिला पंचायत कबीरधाम के सामान्य सभा की बैठक का आयोजन अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती सुशीला भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में 15वें वित्त आयोग योजना के तहत जिला पंचायत विकास योजना वर्ष 2021-22 पर कराए जाने वाले कार्यो पर चर्चा कर अनुमोदन किया गया। इसी तरह जिला पंचायत विकास निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए राशि 3 लाख 57 हजार रुपए के पृथक-पृथक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वन विभाग एवं खाद्य विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा सामान्य सभा के बैठक में किया गया। सामान्य सभा के बैठक में उपाध्यक्ष श्रीमती पुष्पा साहू, सदस्य श्रीमती सुमीर बाई पुसाम, श्री रामकुमार भट्ट, श्री तुकाराम चंद्रवंशी, श्री मुखीराम मरकाम, श्री रामकुमार पटेल, श्रीमती रामकली धुर्वे, श्री विजय शर्मा, श्रीमती भावना बोहरा, श्री रामकृष्ण साहू, श्रीमती सरस्वती साहू, विधायक विधानसभा क्षेत्र पंडरिया एवं सांसद लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव के प्रतिनिधि एवं सभी विभागों के जिला स्तर अधिकारी एवं कार्यलय के स्टॉप उपस्थित थे। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजय दयाराम के. ने सभी सदस्यों को बताया कि जिला पंचायत विकास योजना वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा टाइट एवं अनटाइड फंड का निर्धारण किया गया है। जिसमें टाइट फंड 60 प्रतिशत है जिसमे दो अनिवार्य विषय स्वच्छता एवं पेयजल पर क्रमशः 30-30 प्रतिशत राशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित है तथा अनटाइट फंड के लिए 40 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है, जिसमें अन्य विषयों को जोड़ते हुए कुल दस अलग-अलग प्रकार के श्रेणियों में विभिन्न कार्यों को चिन्हांकित किया गया है जिसके माध्यम से जिले के ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। जिला पंचायत कबीरधाम के सामान्य सभा द्वारा जिला पंचायत विकास निधि के लिए राशि 3 लाख 57 हजार की पृथक-पृथक स्वीकृत किया गया।

वनमंडल अधिकारी, वनमंडल श्री दिलराज प्रभाकर ने सामान्य सभा को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 9 वन परीक्षेत्र है जिसमें 41 सर्कल एवं 157 बीट संख्या है। कबीरधाम जिले का 52 प्रतिशत भाग वन क्षेत्र में आता है जो मुख्यता बोड़ला एवं पंडरिया विकास खंड में है। उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा आठ अलग-अलग प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिसमें पौधा प्रदाय योजना, हरियाली प्रसार योजना, माननीय वन मंत्री पौधा तुहार द्वार वाहन द्वारा घर पहुंच निःशुल्क पौधा प्रदाय योजना, माननीय मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना मनरेगा निःशुल्क पौधा वितरण योजना, हरियर छत्तीसगढ़ कोष, पर्यावरण वानिकी एवं वन महोत्सव शामिल है।

कलेक्टर ने किया भाटापारा तहसील कार्यालय का निरीक्षण

■ **दस दिन बाद फिर निरीक्षण कर करेंगे समीक्षा**

नव प्रदेश संवाददाता

भाटापारा। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने शुक्रवार को बलौदाबाजार, भाटापारा तहसील कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों की तहसील वार समीक्षा करते हुए आवेदनों के निराकरण संबंधित विस्तृत जायजा लिया। इसके तहत नामान्तरण, बंटवारा, सीमाकंन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सूची बद्ध 16 सेवाओं से संबधित आम व्यक्तियों से प्राप्त आवेदनों को समय सीमा के भीतर निराकृत करनें के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा किसी भी आवेदन का निराकरण हर हाल में निर्धारित समय सीमा के भीतर होना चाहिए। केस निरीक्षण के दौरान कुछ अविवादित प्रकृति के केस मिलनें पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त कि,ऐसे केस को कोर्ट में दर्ज नही करनें के निर्देश दिए है, साथ ही उन्होंने ऑनलाइन ब दर्ज प्रकरणों और ऑफ्लाइन दर्ज प्रकरणों का मिलान करतें हुए सभी ऑफ्लाइन प्रकरणों को ऑनलाइन दर्ज करनें कहा। उन्होंने कार्यालय में रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेख शुद्धता, नक्शा बंटाकन को शत प्रतिशत पूर्ण करनें के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी तहसीलों में माइक्रो टीम बना कर, विशेष अभियान चलाकर राजस्व प्रकरणों के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए है।

10 दिनों में होगी पुनः समीक्षा

कलेक्टर श्री जैन ने तहसीलदारों को 10 दिनों में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए है।आगामी 12 जुलाई को बलौदाबाजार एवं 13 जुलाई को भाटापारा तहसील की समीक्षा उनके ही कार्यालय में कि जायेगी। इसके साथ ही पूरे दिन वहां स्थित अन्य विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण एवं कार्यो की समीक्षा की जायेगी।

गौरतलब है कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कलेक्टरों की ऑनलाइन बैठक में तहसीलवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में कलेक्टर ने शुक्रवार को बलौदाबाजार और भाटापारा तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया।

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला-दुर्ग
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-6/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शशांक मोहन तिवारी पिता अजीत कुमार तिवारी निवासी ग्राम बस्तीपारा देवभोग तहसील देवभोग जिला गरियाबंद के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 491/28 रकबा 0.022 हे. भूमि को विक्रेता विनय कुमार संचेती पिता महावीरचंद संचेती निवासी ग्राम शिक्षक नगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 25/06/21 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 20/07/21 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 28/06/21 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक 28/06/2021
पेशी दिनांक 20/07/2021

सील — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला-दुर्ग
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-6/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शशांक मोहन तिवारी पिता अजीत कुमार तिवारी निवासी ग्राम बस्तीपारा देवभोग तहसील देवभोग जिला गरियाबंद के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 491/27 रकबा 0.022 हे. भूमि को विक्रेता चुन्नीलाल दुग्गड़ पिता भंवरलाल दुग्गड़ निवासी ग्राम ब्राम्हणपारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 25/06/21 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 20/07/21 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 28/06/21 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक 28/06/2021
पेशी दिनांक 20/07/2021

सील — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला-दुर्ग
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-6/वर्ष 20-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आनंद जैन पिता स्व. ताराचंद जैन निवासी ग्राम गवली पारा दुर्ग तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 563/23 रकबा 0.020 हे. भूमि को दानदाता श्रीपाल जैन पति स्व. ताराचंद जैन निवासी ग्राम गवलीपारा तहसील दुर्ग जिला दुर्ग से रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 25/06/21 को दान में प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर स्वयं के नाम पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 20/07/21 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 28/06/21 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक 28/06/2021
पेशी दिनांक 20/07/2021

सील — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

प्रथम पृष्ठ का शेष...

चेतवानी: कोविड के बेहद...

का यह सबसे अच्छा तरीका है। इस सितंबर के अंत तक हम नेताओं से सभी देशों के कम से कम 10 प्रतिशत लोगों को टीका लगाने का अनुरोध कर रहे हैं।' डब्ल्यूएचओ ने इस हफ्ते कहा था कि सबसे पहले भारत में पहली बार पाया गया डेल्टा स्वरूप अब करीब 100 देशों में पाया जा रहा है।

....अब हम जिंदगी में...

कहा है, 'इन 15 खूबसूरत वर्षों में हमने एक साथ जीवन भर के अनुभव, आनंद और हँसी साझा की है और हमारा रिश्ता केवल विश्वास, सम्मान और प्यार में बढ़ा है। अब हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना चाहेंगे, अब पति-पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक-दूसरे के लिए सह-माता-पिता और परिवार के रूप में। हमने कुछ समय पहले एक प्लांड सेपरेशन शुरू किया था, और अब इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देने में सहज महसूस कर रहे हैं, अलग-अलग रहने के बावजूद अपने जीवन को एक विस्तारित परिवार की तरह साझा करेंगे। हम अपने बेटे आजाद के समर्पित माता-पिता हैं, जिनका पालन-पोषण हम मिलकर करेंगे। हम फिल्मों, पानी फाउंडेशन और अन्य परियोजनाओं पर भी सहयोगी के रूप में काम करना जारी रखेंगे, जिनके बारे में हम भावुक महसूस करते हैं। हमारे रिश्ते में इस विकास के बारे में उनके निरंतर समर्थन और समझ के लिए हमारे परिवारों और दोस्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद जिनके बिना हम यह कदम लेने में इतने सुरक्षित नहीं करते। हम अपने शुभचिंतकों से शुभकामनाएं और आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि - हमारी तरह - आप इस तलाक को अंत की तरह नहीं, बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत के रूप में देखेंगे।

सरकार की सख्ती के बाद गूगल...

रिपोर्ट में कहा कि उसने देश में 15 मई से 15 जून के बीच उल्लंघन की 10 श्रेणियों में तीन करोड़ से अधिक सामग्रियों पर कार्रवाई की। इंस्टाग्राम ने इसी अवधि में नौ श्रेणियों में करीब 20 लाख पोस्ट, तस्वीर, वीडियो और टिप्पणी आदि पर कार्रवाई की है।गूगल ने बताया कि उसे और यूट्यूब को इस साल अप्रैल में भारत के उपयोगकर्ताओं से 27,762 शिकायतें स्थानीय कानूनों या निजी अधिकारों के कथित हनन की मिली थीं और उन्होंने परिणामस्वरूप 59,350 सामग्रियों (पोस्ट, तस्वीर, वीडियो और टिप्पणी) आदि को हटाया। भारतीय सोशल मीडिया कंपनी कू ने भी इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दी है।

रामदेव ने कोरोनिल बेचने...

कंपनी द्वारा बनाई गई कोरोनिल, श्वासारि वटी, अणु तेल आदि बेचने के उद्देश्य से किया गया है।

बाबा रामदेव के पास समर्थकों-अनुयाइयों की बड़ी संख्या-डीएमए

याचिका में मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बाबा रामदेव के पास समर्थकों की बड़ी संख्या है जिन पर उनका बड़ा प्रभाव है, उन्होंने अपने बयानों से कोरोना महामारी के इलाज के संबंध में बड़े स्तर भ्रांतियां फैलाई हैं, जिससे कोरोना महामारी के इलाज के कुप्रबंधन को बढ़ावा मिला है।

दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं रामदेव

आपको बता दें कि बीते दिनों ही छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिहार के पटना में में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफएफआईआर दर्ज की गईं हैं। जिन में बाबा रामदेव पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कोरोना के इलाज में दी जा रहीं एलोपैथिक दवाओं के संबंध में भ्रांतियां फैलाई हैं। इन्हीं एफआईआर से परेशान बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है।

स्वामी रामदेव ने एलोपैथी/डॉक्टरों को लेकर दिए उनके बयान को लेकर अलग-अलग राज्यों में दर्ज FIR के आधार पर किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही सभी मामलों का ट्रॉयल भी दिल्ली शिफ्ट करने की मांग की है।

खेतों के ढ़लान वाले हिस्से में...

नदियों एवं नालों में उपयुक्त स्थलों में मिट्टी का डाईक वाल बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य के धान उपार्जन केन्द्रों में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन चबूतरों के उपर शेड निर्माण कराए जाने के भी निर्देश दिए ताकि उपार्जित धान का सुरक्षित रख-रखाव हो सके। बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण श्रीमती रेणु जी. पिल्ले ने बताया कि राज्य में मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 669 लाख मानव दिवस अर्जन कर 107 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वृहद पैमाने पर तालाब निर्माण एवं गहरीकरण, डबरी, कुंआ, चेकडैम, स्टॉपडेम, सोकपिट, नहर लाईनिंग, सिंचाई नाले का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में मनरेगा के तहत लगभग 85 हजार निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए जिनमें से 37 हजार कार्य पूरे कराए जा चुके है शेष निर्माणाधीन है।

बैठक में राज्य ग्रामीण आजीविका बिहान, रूर्बन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, विशेष परियोजना, उत्थान, मिलाप, सृष्टि के साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य की 12 हजार 178 बसाहटों में से 10924 बसाहटों को पक्की सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति के विरूद्ध अब तक 10446 बसाहटों को जोड़ा जा चुका है। योजना के तहत 8539 स्वीकृत सड़कों में से 7530 सड़कों का निर्माण पूरा करा लिया गया है, जिनकी लम्बाई 37 हजार 848 किलोमीटर है।

ईडी ने चीन के लिए जासूसी...

रक्षा मामलों पर लेख लिखते थे और वर्ष 2016 में चीनी एजेंट के संपर्क में आए थे। वह कुछ चीनी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में भी थे। वह 2016 से 2018 तक चीनी खुफिया अधिकारियों को संवेदनशील रक्षा और रणनीतिक जानकारी देने में शामिल थे। इसके लिए वह विभिन्न देशों में कई स्थानों पर चीनी खुफिया अधिकारियों से भी मिलते थे। इन मीटिंग्स में भारत-चीन सीमा मुद्दे पर, सीमा पर सेना की तैनाती और सरकार द्वारा तैयार रणनीति आदि की जानकारी साझा की जाती थी।

न्यायालय तहसीलदार रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
ईश्तहार

क्र./क/बी-121/2021 रायपुर, 24.6.21
ग्राम राजनांदगांव प.ह.नं. ...
तहसील रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती रेखा डेम्बानी, पति मुरलीधर शर्मा द्वारा इस न्यायालय मृत्यु प्रमाण पत्र बाबत् आवेदन पेश कर उल्लेख किया है, आवेदक के माता स्व. श्रीमती मीना डेम्बानी पति श्री लक्ष्मणदास डेम्बानी की मृत्यु दिनांक 04/05/2005 को विद्या हास्पिटल रायपुर में हो चुकी है। उनके मृत्यु उपरांत आवेदक द्वारा निवेदन किया गया है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण-पत्र के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो वे नियत सुनवाई दिनांक 07/07/2021 तक स्वतः अथवा वैध प्रतिनिधि के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 24/06/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया है।

सील — कार्यपालन दण्डाधिकारी रायपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं DILIP KAUR BHATTI W/O GURNAM SINGH BHATTI निवासी FLAT NO.-407, BLOCK-B, PHASE-2, LAXMI NAGAR RISALI BHILAI DISTT.-DURG (C.G.) 490006 यह शपथ करती हूं कि मैने अपना यह पुराना नाम को त्याग कर नया नाम DALEEP KAUR W/O GURNAM SINGH BHATTI रख ली हूं। अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नये नाम DALEEP KAUR W/O GURNAM SINGH BHATTI से ही जाना पहचाना जावे।

DALEEP KAUR
FLAT NO.-407, BLOCK-B,
PHASE-2, LAXMI NAGAR
RISALI BHILAI
DISTT.-DURG (C.G.) 490006

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर
नवीन मुख्यालय भवन, नगर पालिक निगम, गांधी चौक के पास, रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771-2535780, 90 फैक्स-0771-2227395 ई-मेल dc_rmc@rediffmail.com

क्रमांक-11723/यो.शाखा/नपानि/21 — रायपुर, दिनांक 02/07/2021

द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा अनुभवी अधिकृत एजेंसी/ फर्म/निर्माता कंपनी जिन्हें इस प्रकार के कार्य का अनुभव हो सीलबंद निविदा नान एस.ओ.आर. आयटम हेतु फार्म "B" में आयटम दर पर दो लिफाफा पद्धति से दिनांक 20.07.2021 को अपरान्ह 4.00 बजे तक स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इस हेतु निविदा प्रपत्र कार्यालयीन अवधि एवं समय पर योजना शाखा से दिनांक 16.07.2021 तक निर्धारित शुल्क अदा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दिनांक 20.07.2021 को अपरान्ह 4.30 बजे उपस्थित निविदाकार/उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

क्र.	कार्य का नाम	आगणित राशि रू.	अमानती राशि रू.	निविदा प्रपत्र	ठेकेदार श्रेणी	कार्यावधि
1.	रायपुर शहर के रामनगर रैन बसेरा में स्थापित 1000 LPH Water ATM का वार्षिक संधारण कार्य।	1,80,056/-	3500/-	750/-	क्लास ''डी'' अथवा निर्माता कंपनी/ अधिकृत फर्म	01 वर्ष

नियम शर्तें :-
1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। 2. अमानती राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी एफ.डी.आर. अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में आयुक्त, नगर पालिका निगम, रायपुर के नाम से स्वीकार होगी। 3. लिफाफा (अ) में अमानती राशि एवं लिफाफा (ब) में वित्तीय आफर। 4. लिफाफा (अ) में राशि रु. 100/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त दस्तावेजों के सत्यापन संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। 5. कार्य की स्पेशिफिकेशन एवं अन्य जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 6. किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम, रायपुर को होगा। 7. शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्रतिष्ठित विभाग के अधीन 03 स्थानों पर पिछले तीन वर्षों हेतु वॉटर ए.टी.एम. के Supply, Installation, Commissioning & Maintenance संबंधी कार्यादेश व सफलतापूर्वक पूर्ण करने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति निविदा प्राप्त करने हेतु संलग्न करना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार अर्हता पूर्ण करने पर ही निविदा प्रपत्र जारी किया जावेगा।

घरों से निकलने वाले गीला और सूखा कचरे को सफाई मित्र (वाहन) को देवें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER PUBLIC WORKS DEPARTMENT, E/M CIRCLE, RAIPUR (C.G.)
e-Procuremenrt Tender Notice

Online tenders are invited on behalf of Governor Chhattisgarh from contractors. Registered contractor class in "D" & above C.G. P.W.D. For Form "A" (Percentage Rate Tender) in new Registration system (unified Registration system) for the following work :-

NIT No.	Name of work	Probable amount of contract	Last date of bid submission
68/SS E/M/2020-21 (1 Call) system Tender No 78917	PROVIDING AND FIXING ROAD LIGHTING IN SASKRI OVERBRIDGE AT KAWARDHA (TOTAL LENGTH 0.7 KM) (C.G.)	Rs. 40.37 Lacs	21.07.2021

Note :-
- The tender documents can be downloaded from the web portal http://eproc.cgstate.gov.in. Only those contractors/ bidders, interested in bidding shall pay the tender document cost online.

विकास का वादा-मजबूत इरादा
आपकी थी चाह, हमने बनाई राह

G-61748/4

Superintending Engineer
P.W.D., E/M Circle Raipur (C.G.)

OFFICE OF THE RAIPUR SMART CITY LIMITED
e-Procurement Tender Notice
Main Portal : http://eproc.cgstate.gov.in

Sl. No.	NIT NO	System Tender No.	Name of work/Description of work	Tender amount	EMD Amount	Time Period
1	391/RSCL/2021	79104	Beautification and Redevelopment of Ganesh Maidan Garden in Raipur including Operation and Maintenance of One Year	Rs.27.31 Lakhs	Rs.27,310.00	6 Months including monsoon season
2	394/RSCL/2021	79173	Beautification and Redevelopment of Jethwa Garden in Raipur including Operation and Maintenance of One Year	Rs.43.02 Lakhs	Rs.43,020.00	9 Months including monsoon season
3	392/RSCL/2021	79106	Beautification and Redevelopment of Dabri Bandhwa Talab in Raipur including Operation and Maintenance of one Year	Rs.51.35 Lakhs	Rs,51,350.00	9 Months including monsoon season
4	395/RSCL/2021	79178	Beautification and Redevelopment of Jarvhay Talab in Raipur including Operation and Maintenance of One Year	Rs.41.70 Lakhs	Rs.41,700.00	9 Months including monsoon season

All the details can be viewed and downloaded online directly from the Government of Chhattisgarh e-Procurement Portal https://eproc.cgstate.gov.in

MANAGER CIVIL
RAIPUR SMART CITY LIMITED

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित, प्रबंध संपादक - चन्द्रशेखर धोटे
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

न्यूज गैलरी

जिले के अंतिम छोर साल्हेभट्टी पर हुआ जोरदार कोविड वैक्सीनेशन

राजनांदगांव/नवप्रदेश। जिले के अंतिम छोर के औंधी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत साल्हेभट्टी मे कोरोना टीकाकरण किया गया, जिसमें 18+ एवं 45+ वर्ष पूर्ण के सभी महिलाएं और पुरुष को कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। कोरोना वायरस से बचने के उपाय बताए गए। इस कार्यक्रम में वारकंजी डोंगरगांव के लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम में औंधी चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारी गीता सावलकर और पंचायत के सरपंच पुष्पा आत्राम, सचिव दर्शन भुरखुरे एवं रोजगार सहायक अजय मेश्राम, हेमलाल फरदिया, सत्वंतीन नेताम गांव मितानिन कांता बाई और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती ईमला बंसोड़, पुष्पा मुगनकार एवं कुंता बंसोड, सुभिया भुआर्य, युवा साथी अरूण भुआर्य, मनीष तारम, संतोष तारम, भुनेश्वर मेरिया, विक्की बंसोड़ एवं गांव के लोग उपस्थित थे।

सेवाभावी संस्था इंडियन रोटी बैंक जरूरतमंद लोगों की सेवा में जुटा

राजनांदगांव/नवप्रदेश। सेवाभावी संस्था इंडियन रोटी बैंक लगातार अपनी सेवा भावना से जरूरतमंद लोगों की सेवा में जुटा हुआ है। भूखा न सोए कोई अपना इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए सेवाभावी संस्था गरीब और जरूरतमंदों के लिए सहारा बनी हुई है। इंडियन रोटी बैंक लगातार अपनी गतिविधियों की वजह से बहुत ही कम समय मे नगर में अपनी एक पहचान बनाने में सफल हुई है और नित नए आयाम स्थापित करती जा रही है। कोरोना की भीषण आपदा में जब लोगों के पास खाने को भोजन नहीं था, तब भी इंडियन रोटी बैंक ने पहल करते हुए आगे बढ़कर जरूरतमंदों का सहारा बनी, और आज भी इनका यह सेवाभाव निरंतर जारी है। इस बार इंडियन रोटी बैंक ने एक और पहल करते हुए शीतला मंदिर, प्यारे लाल चौक हनुमान मंदिर, नया बस स्टैंड व फ्लाई ओवर के नीचे बैठे जरूरतमंद व भूखे वृद्धजनों को पुलाव का वितरण कर मानवता की एक नई मिशाल पेश की।

मत्स्य पालन की गतिविधियों को बढ़ावा देने की जरूरत : कलेक्टर

राजनांदगांव/नवप्रदेश। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने खैरागढ़ विकासखंड के ग्राम हीरावाही के तालाब में मत्स्य पालन का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि जिले में मत्स्य पालन की गतिविधियों को बढ़ावा देने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से संबंधित अन्य गतिविधियों में मत्स्य पालन आजीविका के लिए मदद मिलेगी। गांव के तालाब एवं डबरी में मत्स्य पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने वहां उपस्थित मत्स्य पालक भुनेश्वर ढीमर एवं अन्य मत्स्य पालकों से बात की। मत्स्य पालकों ने बताया कि मत्स्य पालन से फायदा हो रहा है और आमदनी बढ़ी है।

महंगाई भत्ते की मांग को लेकर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन

राजनांदगांव/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रमुख संरक्षक पीआर यादव, प्रदेश अध्यक्ष विजय झा एवं जिला अध्यक्ष अरूण देवांगन के निर्देशानुसार संघ के प्रांतीय आह्वान पर 1 जुलाई 2019 से 1 जुलाई 2021 को देय लंबित महंगाई भत्ता के 4 किश्तों का प्रदेश शासकीय सेवकों एवं पेंशनर्स को शीघ्र भुगतान कर महंगाई से राहत प्रदान करने हेतु ज्ञापन जिलाधीश के दौरे में होने की स्थिति में कार्यालय अधीक्षक को सौंपा गया।

जिला उपाध्यक्ष आनंद कुमार श्रीवास्तव तथा सचिव हरीश भाटिया ने कहा कि आम निस्तारी की हर सामग्री के दोगुने बढ़ते कीमतों के कारण समस्त जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि का सामना राज्य शासन के कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। गौरतलब हो कि इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व श्री मनुसिंधवी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि लंबित भत्ते का शीघ्र भुगतान किया जाये। उनकी भावना का छग राज्य में जहां उनकी सरकार है, तत्काल अनुपालन किया जाना चाहिए। श्री श्रीवास्तव व श्री भाटिया ने आगे कहा कि महंगाई भत्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति राशि के रूप में वेतन का हिस्सा है। इसलिए प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ता क्रमशः 1 जुलाई 2019, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2021 को मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़े हुए बाजार मूल्य को समायोजित करने हेतु राज्य सरकार के शासकीय सेवकों के क्रय शक्ति को संतुलित करने हेतु देय महंगाई भत्ता शीघ्र प्रदाय करने की मांग ज्ञापनके आधार से की गयी है।

इस अवसर पर संघ के जिला उपाध्यक्ष आनंद कुमार श्रीवास्तव, सचिव हरिश भाटिया, कोषाध्यक्ष जेएस ठाकुर, अं. चौकी अध्यक्ष राजकुमार महानदिया, डोंगरगढ़ से रूपचंद साहू, नवीन गजभिए, कमलेश ढीमर, सुभाष तायवाड़े, सीमा यदु, संध्या तारम, गायत्री ठाकुर, माया सुरसे, सविता माहेश्वरी, बंशीलाल बघेल, कौशल खोब्रागढ़े, कुशाल सिंह, मनोज बोपचे, मानसिंह पवार, आबिद कुरैशी आदि उपस्थित थे।

किसानों को फल एवं सब्जियों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करें : तारन प्रकाश

- कलेक्टर ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत क्लस्टर में किए जा रहे फल की खेती का किया अवलोकन
- झीकादाह में किसान जीधन साहू के उद्यानिकी फसलों हेतु निर्मित पैक हाऊस का किया निरीक्षण

राजनांदगांव/नवप्रदेश। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने खैरागढ़ विकासखंड के ग्राम चिखलीदाह में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत क्लस्टर में किए जा रहे फल की खेती का अवलोकन किया।

उन्होंने कहा कि किसानों को उद्यानिकी फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि फल क्षेत्र विस्तार योजना के तहत किसानों को अनुदान का लाभ मिलना चाहिए। धान के स्थान पर सब्जी एवं फलों का रकबा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा किसानों को उद्यानिकी एवं अन्य फसलों में परिवर्तित करें। उन्होंने उद्यानिकी विभाग के अधिकारी को क्षेत्रीय कृषकों को मौसमी कीट, बीमारियों एवं रोगों से बचाव के लिए तकनीकी सलाह देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि गौठानों में संचालित सामुदायिक बाड़ी में स्वसहायता समूह की महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ-साथ सब्जी फसल उत्पादन में सहायता एवं पोषण बाड़ी की स्थापना के लिए निर्देशित किया। उन्होंने 30 एकड़ में अमरूद एवं केले की फसल देखकर खुशी जाहिर की। उद्यान विभाग के अधिकारी रविन्द्र मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां शासन द्वारा प्रदान किए गए अनुदान की सहायता राशि से 9 किसानों ने ताइवान पिंक वेरायटी एवं केला जी-9 वेरायटी लगाई है।

कलेक्टर ने ग्राम झीकादाह में किसान जीधन साहू के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बनाए गए पैक हाऊस का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि किसानों का फल एवं सब्जियों की खेती की ओर बढ़ता रूझान अच्छा संकेत है।

इस अवसर पर उन्होंने किसान जीधन साहू को योजना के अंतर्गत 2 लाख रूपए का चेक प्रदान किया। किसान श्री साहू ने बताया कि पहले वे 18 एकड़ जमीन में धान की खेती करते थे लेकिन इस वर्ष वे 10 एकड़ रकबे में कुंदरू, लौकी, बैंगन, टमाटर, खीरा की खेती कर रहे हैं। जिससे प्रति एकड़ 80 से 90 हजार रूपए की आमदनी हो रही है। इसलिए आगे भी सब्जियों की ही खेती करूंगा। उन्होंने बताया कि उद्यानिकी विभाग से सब्जियों की पैंकिंग एवं ग्रेडिंग करने के लिए अनुदान पर पैक हाऊस दिया गया है। उद्यान विकास अधिकारी खैरागढ़ ने बताया कि 21 हेक्टेयर में केला फसल के लिए 8 लाख 4 हजार 375 रूपए, 17 हेक्टेयर रकबे में पपीता फसल के लिए 3 लाख 82 हजार 725 रूपए इसके साथ-साथ टमाटर क्षेत्र विस्तार में 61.95 हेक्टेयर के लिए 12 लाख 39 हजार रूपए, 21 हेक्टेयर रकबे में बैगन फसल के लिए 4 लाख 32 हजार रूपए का अनुदान दिया गया है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्य घटक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत विकासखंड के 9 किसानों को पैक हाऊस निर्माण हेतु 28 लाख रूपए का अनुदान उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया गया है।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विकासखंड के 9 किसानों को वर्मी कम्पोस्ट पक्का टांका निर्माण उपरांत 4 लाख 50 हजार रूपए का अनुदान भी उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किया गया है। इस दौरान एसडीएम लवकेश ध्रुव, जनपद सीईओ श्रीमती रोशनी भगत, तहसीलदार प्रीतम साहू एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मांगों को लेकर बस आपरेटरों ने सौंपा ज्ञापन

राजनांदगांव/नवप्रदेश। पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों के बीच यात्री किराया भी बढ़ाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे बस ऑपरेटरों ने प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है।

छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिला एवं मिनी बस ऑपरेटर संघ राजनांदगांव के अध्यक्ष रईश अहमद शकील ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि अपने चरणबद्ध आंदोलन के तहत बस ऑपरेटरों ने आज प्रदेश सरकार के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच कर ज्ञापन सौंपा है।

विगत लगभग डेढ़ वर्षो से बस का संचालन प्रभावित है। वहीं ड्राइवर, कंडक्टरों के सामने काम नहीं होने से आर्थिक संकट खड़ा हुआ है। डीजल, पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे दामों के चलते बस ऑपरेटरों के सामने बस का संचालन करना मुश्किल हो गया है। बस ऑपरेटर लगातार मांग कर रहे हैं कि डीजल का रेट बढ़ने पर किराया बढ़ाया जाए और कम होने पर कम कर दिया जाए। इसके बावजूद सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है।

ऐसे में बस ऑपरेटरों को अब चरणबद्ध आंदोलन करने की जरूरत पड़ गई है। अपने आंदोलन के तहत बस ऑपरेटरों ने पूर्व में भी ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों पर रखकर हालातों से अवगत कराया था। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर 13 जुलाई को खारून नदी में जल समाधि लेने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद अब तक बस ऑपरेटरों की मांगे पूरी नहीं हुई है।

रईस अहमद शकील ने कहा कि सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। आज 16 माह से बस का संचालन प्रभावित है।

छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना

कोरोना से माता-पिता को खोने वाले बच्चों को पढ़ाएगी सरकार

मासिक छात्रवृत्ति

कक्षा 1 से 8 तक
₹500

कक्षा 9 से 12 तक
₹1000

शैक्षणिक सुविधाएं

शासकीय तथा निजी शालाओं में निःशुल्क शिक्षा / स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश की प्राथमिकता / जिनके माता-पिता दोनों की कोरोना से मृत्यु हो गई है, उनकी शिक्षा का संपूर्ण व्यय शासन वहन करेगा / साथ ही छात्रवृत्ति दी जाएगी / जिनके कमाने वाले माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी / पात्र बच्चों को स्कूल शिक्षा के पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन / व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण - कोचिंग की सुविधा।

पात्रता

- छत्तीसगढ़ का निवासी।
- माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से।
- स्कूली शिक्षा प्राप्त करने आयु संबंधी पात्रता।
- कमाने वाले वयस्क सदस्य नहीं होने के कारण भरण-पोषण की समस्या।

क्रियान्वयन

बच्चे स्वयं या उनके अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी के पास सीधे आवेदन कर सकेंगे / आवेदन पत्रों के परीक्षण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की समिति / समिति की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति / योजना की समीक्षा जिला कलेक्टर द्वारा समय-समय पर / स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी निर्देश जारी किया जाएगा।

"कोरोना की त्रासदी ने अनायास ही कई परिवारों के सिर से उनके पालकों की छाया छीन ली है। हमने प्रदेश के पीड़ित परिवारों को कोरोना की त्रासदी से राहत दिलाने के लिए करुणा, संवेदनशीलता और निष्काम सेवा का मंत्र अपनाया। ऐसे परिवारों के बच्चों की शिक्षा निरंतर जारी रखने के लिए हमारी सरकार ने माता-पिता की भूमिका निभाने का निश्चय किया है"।

भूपेश बघेल
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

सेवा-जतन-सरोकार : छत्तीसगढ़ सरकार

छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क